क्रम संख्या–171(क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2003 ई0
आश्विन 22, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग

संख्या : 3/1/3/2003–सी0एक्स0

देहरादून, 14 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. (1) राज्य सरकार का कार्य उत्तरांचल सचिवालय के विभागों या अनुभागों में, जैसा कि इस नियमावली के परिशिष्टों में उल्लिखित है अथवा राज्यपाल द्वारा इस हेतु समय–समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों में उल्लिखित होगा, किया जायगा।

(2) इस नियमावली के परिशिष्ट–2 में अनुभागों के कार्यों के विवरण में कार्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अनुभाग में व्यवहृत होंगे तथा उन अधिनियमों, नियमों एवं नियम–संग्रहों का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अनुभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में होंगे।

(3) विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वयं परीक्षण करके उपनियम (2) में उल्लिखित विवरण–सामग्री अथवा यथास्थिति उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों के लिये विवरण सामग्री सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा सचिवालय प्रशासन अनुभाग यथोचित स्तरीय आदेश प्राप्त करके उपनियम (2) में उल्लिखित परिशिष्टों अथवा समय–समय पर यथापेक्षा उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश की अधिसूचना जारी करेंगे।

(4) उप नियम (1) व (2) के अधीन उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से बांटे गये या बांटा हुआ समझे गये विषयों के अतिरिक्त उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभागों या विभागों को निम्नलिखित में से किसी

विधि के अधीन, जहां तक वे विषय उन्हें बांटे गये हैं और मुख्य सचिव के सामान्य निदेशों के अधीन रहते हुए, आदेश जारी करने की शक्ति होगी :–

(क) तत्समय प्रवृत्त भारत रक्षा अधिनियम और नियम;

(ख) आवश्यक सेवायें या आवश्यक पूर्ति बनाये रखने के लिये तत्समय प्रवृत्त कोई विधि;

(ग) तत्समय प्रवृत्त आवश्यक वस्तु अधिनियम;

(घ) भूमि अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि;

(ङ) अनुभाग या विभाग को बांटे गये विषय से संबंधित किसी अपराध के लिये अभियोजन की स्वीकृति।

3. राज्यपाल, मुख्य मंत्री की मंत्रणा से, एक मंत्री के प्रभार में एक या अधिक विभाग सौंप कर मंत्रियों के मध्य सरकार के कार्य का बंटवारा करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात एक विभाग को एक से अधिक मंत्रियों को सौंपने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

4. सचिवालय के प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख सचिव या सचिव होगा, जो उस विभाग का शासकीय अध्यक्ष होगा, और उसके अधीनस्थ उतने अन्य अधिकारी और सेवक होंगे जितने राज्य सरकार अवधारित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) एक ही प्रमुख सचिव या सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं, और

(ख) एक ही विभाग के काम का विभाजन दो या अधिक प्रमुख सचिवों या सचिवों के मध्य किया जा सकता है।

5. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में लागू उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 उत्तरांचल में लागू रहने के संदर्भ में तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है, सिवाय उन विषयों के जो उसके अधीन सम्पादित किए गए हों अथवा किये जा रहे हों :

परन्तु ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उक्त उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 के नियम 2 के अधीन बनाये गये परिशिष्ट–1 और परिशिष्ट–2, जब तक कि वे इस नियमावली के अधीन बनाए जाकर अधिसूचना द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से विखण्डित या संशोधित न किये जायें, प्रवृत्त रहेंगे, मानो वे इस नियमावली के अधीन जारी किये गये हों। पूर्णतः या आंशिक रूप से विखण्डन या संशोधन की ऐसी अधिसूचना के पश्चात्, वे, यथास्थिति, स्वतः विखण्डित या संशोधित समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ० आर० एस० टोलिया,
मुख्य सचिव।

संख्या : 3/1/3/2003–सी०एक्स०

प्रतिलिपि अंग्रेजी रूपान्तर सहित निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. राज्यपाल के सचिव (6 प्रतियां)।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त मंत्रियों/राज्यमंत्रियों के निजी सचिव।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 3/1/3/2003. C.X., dated October 14, 2003.

NO. 3/1/3/2003. C.X.
Dated Dehradun, October 14, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (2) and (3) of the Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to make the following Rules, namely :--

THE BUSINESS OF UTTARANCHAL (ALLOCATION) RULES, 2003

1. (1) These rules may be called the **"Business of Uttaranchal (Allocation) Rules, 2003".**

(2) They shall come into force at once.

2. (1) The business of the Government shall be transacted in the sections or departments of the Uttaranchal Secretariat as may be specified by general or special orders of Governor, issued from time to time, in that behalf.

(2) In the appendix-2 of these Rules the number allocated to the sections, the names of the sections and the names of the work allocated to each section shall be mentioned. The names of the Acts, Rules, Regulations and Manuals being dealt with in each section shall be specially mentioned.

(3) It shall be the responsibility of the Principal Secretary or Secretary of the department to send the material mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2), as the case may be, to the Secretariat Administration Department after personally examining such material and the Secretariat Administration Department shall obtain orders of the suitable level before issuing the notification mentioned in sub-rule (2) or order received by them under sub-rule (1) from time to time.

(4) In addition to the subjects specifically allocated or deemed to be allocated to them under sub-rule (1) and sub-rule (2), all sections or departments of the Uttaranchal Secretariat shall have powers to issue orders under any of the following laws, in so far as the subject is allocated to them and subject to general directions of the Chief Secretary :--

(a) The Defence of India Act and rules for the time being in force;

(b) Any law for the time being in force for the maintenance of essential services or essential supplies;

(c) The Essential Commodities Act for the time being in force;

(d) Any law relating to land acquisition for the time being in force;

(e) Sanction for prosecution for any offence relating to the subject allocated to the section or department.

3. (1) The Governor shall, on the advice of the Chief Minister, allot among the Ministers, the business of the Government by assigning one or more departments to the charge of a Minister :

Provided that nothing in this rule shall prevent the assigning of one department to the charge of more than one Minister.

4. Each Department of the Secretariat shall consist of the Prinicpal Secretary or Secretary to the Government, who shall be the official head of that Department and of such other officers and servants subordinate to him as the State Government may determine :

Provided that--

(a) more than one Department may be placed in charge of the same Principal Secretary or Secretary; and

(b) the work of a Department may be divided between two or more Principal Secretaries or Secretaries.

5. The Business of Uttar Pradesh (Allocation) Rules, 1975 shall be repealed, in so far as these are applicable to the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 with immediate effect, except in respect of such cases, which have either been disposed of or are in the process of being disposed of under the said Rules :

Provided, however, that notwithstanding such repeal the Appendix-1 and the Appendix-2, made under Rule-2 of the aforesaid The Business of Uttar Pradesh (Allocation) Rules, 1975 shall remain in force till these Appendices are made under these Rules and repealed or amended fully or partly by notification of repeal or amendment, fully or partly, as the case may be, shall be deemed to have been automatically repealed or amended.

By Order,

Dr. R. S. TOLIA,
Chief Secretary.

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1
संख्या–1093 XXXI (1)/2006
दिनांक: 18 अगस्त 2006

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन उत्तरांचल सचिवालय के विभागों/अनुभागों के मध्य इस नियमावली के नियम–2 के उपनियम (1) के अधीन राज्यपाल महोदय सचिवालय के विभागों/अनुभागों को संलग्न परिशिष्ठ–1 में निर्दिष्ट अनुभागीय संख्या तथा परिशिष्ट–2 में उल्लिखित कार्य बिनिर्दिष्ट करते है।

एम. रामचन्द्रन
मुख्य सचिव।

संख्या–1093 (1)/ XXXI .....2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव।
2. मा0 मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव/सचिव।
3. समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
4. समस्त प्रमुख सचिव, सचिव एवं अपर सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अधिकारी।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1093 (2)/ XXXI .....2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि दो अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–1

उत्तरांचल सचिवालय के विभागों/अनुभागों के बीच कार्य का बंटवारा अनुभागीय संख्या तथा सूची

क्रमांक	अनुभाग संख्या	अनुभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	I-1	ऊर्जा अनुभाग–1	1- 2
2.	I-2	ऊर्जा अनुभाग–2	3 - 5
3.	II-1	सिंचाई अनुभाग–1	5 - 8
4.	II-2	सिंचाई अनुभाग–2	8 - 11
5.	III-1	लोक निमार्ण अनुभाग–1	11 - 12
6.	III-2	लोक निमार्ण अनुभाग–2	12
7.	III-3	लोक निमार्ण अनुभाग–3	12 - 13
8.	IV-1	शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूल अनुभाग–1	13 - 14
9.	IV-2	शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूल अनुभाग–2	14 - 17
10.	V-1	आवास अनुभाग–1	17 - 18
11.	V-2	आवास अनुभाग–2	18 - 19
12.	VI-1	संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1	19 - 22
13.	VI-2	संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2	22 - 25
14.	VII-1	औद्योगिक विकास(उद्योग एवं लघु उद्योग)एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1	25 - 27
15.	VII-2	औद्योगिक विकास(उद्योग एवं लघु उद्योग)एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2	27 - 29
16.	VIII-1	श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग	29 - 39
17.	IX-1	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–1	39 - 41
18.	IX-2	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2	41 - 43
19.	X-1	वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1	44 - 46
20.	X-2	वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2	46 - 49
21.	X-3	वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3	49 - 52
22.	XI-1	ग्राम्य विकास एवं जलागमन प्रबन्धन अनुभाग	52 - 54
23.	XII-1	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग–1	54 - 56
24.	XII-2	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग–2	56
25.	XIII-1	कृषि एवं विपणन अनुभाग–1	56 - 58
26.	XIII-2	कृषि एवं विपणन अनुभाग–2	58 - 59
27.	XIV-1	सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग–1	59 - 61
28.	XIV-2	सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग–2	61 - 63
29.	XV-1	पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास अनुभाग–1	63 - 64
30.	XV-2	पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास अनुभाग–2	64 - 67

31.	XVI-1	उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1	67 - 7
32.	XVI-2	उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2	70 - 7
33.	XVII-1	समाज कल्याण अनुभाग–1	72 - 7
34.	XVII-2	समाज कल्याण अनुभाग–2	73 - 7
35.	XVII-3	समाज कल्याण अनुभाग–3	74 - 7
36.	XVII-4	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–4	76 - 7
37.	XVIII-1	राजस्व एवं भू–प्रबन्धन अनुभाग–1	77 - 7
38.	XVIII-2	राजस्व एवं भू–प्रबन्धन अनुभाग–2	79 - 8
39.	XVIII-3	आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग–3	81 - 8
40.	XIX-1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1	84 - 8
41.	XIX-2	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2	86 - 8
42.	XX-1	गृह अनुभाग–1	87 - 8
43.	XX-2	गृह अनुभाग–2	88 - 8
44.	XX-3	गृह अनुभाग–3	89
45.	XX-4	गृह अनुभाग–4	89 - 9
46.	XX-5	गृह अनुभाग–5	90
47.	XX-6	गृह अनुभाग–6	90
48.	XXI-1	गोपन अनुभाग	91 - 95
49.	XXII-1	सूचना अनुभाग,	95 - 97
50.	XXIII-1	आबकारी अनुभाग	97 - 98
51.	XXIV-1	विद्यालयी शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)	98 - 99
52.	XXIV-2	विद्यालयी शिक्षा अनुभाग–2 (माध्यमिक)	99 - 100
53.	XXIV-3	विद्यालयी शिक्षा अनुभाग–3 (माध्यमिक)	100
54.	XXIV-4	विद्यालयी शिक्षा अनुभाग–4 (माध्यमिक)	101
55.	XXIV-5	विद्यालयी शिक्षा अनुभाग–5 (माध्यमिक)	102
56.	XXIV-6	शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)	102 - 10
57.	XXIV-7	शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा)	104 - 10
58.	XXIV-8	तकनिकी शिक्षा अनुभाग–8	105 - 10
59.	XXV-1	निर्वाचन अनुभाग	106
60.	XXVI-1	नियोजन अनुभाग–1	106 - 10
61.	XXVI-2	नियोजन अनुभाग–2	108 - 10
62.	XXVII-1	वित्त (बजट–संसाधन) अनुभाग–1	110 - 11
63.	XXVII-2	वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2	114
64.	XXVII-3	वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3	114
65.	XXVII-4	वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–4	115
66.	XXVII-5	वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5	115

67.	XXVII-6	वित्त (अधिष्ठान–सेवायें) अनुभाग–6	117 - 119
68.	XXVII-7	वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7	119 - 124
69.	XXVII-8	वित्त (संस्थागत) अनुभाग–8	124 - 126
70.	XXVII-9	वित्त (विविध) अनुभाग–9 - स्टाम्प / निबन्धन विभाग	126 - 128
71.	XXVIII-1	चिकित्सा अनुभाग–1	129 - 130
72.	XXVIII-2	चिकित्सा अनुभाग–2	130 - 132
73.	XXVIII-3	चिकित्सा अनुभाग–3	132 - 133
74.	XXVIII-4	चिकित्सा अनुभाग–4	133 - 135
75.	XXVIII-5	चिकित्सा अनुभाग–5	135 - 137
76.	XXIX-1	पेयजल अनुभाग–1	137 - 138
77.	XXIX-2	पेयजल अनुभाग–2	138 - 140
78.	XXX-1	कार्मिक अनुभाग–1	140 - 143
79.	XXX-2	कार्मिक अनुभाग–2	143 - 147
80.	XXX-3	कार्मिक अनुभाग–3	147 - 148
81.	XXXI-1	सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1	148 - 149
82.	XXXI-2	सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–2	149 - 150
83.	XXXI-3	सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3	150 - 151
84	XXXI-4	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–1	151 - 153
85.	XXXI-5	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–2	153 - 154
86.	XXXI-6	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–3	154 - 155
87.	XXXI-7	सचिवालय प्रशासन (पुस्तकालय / प्रलेखीकरण) अनुभाग	155 - 157
88.	XXXI-8	सचिवालय प्रशासन प्रवेश पत्र अनुभाग	157 - 158
89.	XXXI-9	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–1	158 - 159
90.	XXXI-10	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2	159 - 160
91.	XXXI-11	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–3	160 - 161
92.	XXXI-12	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4	161 - 162
93.	XXXI-13	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–5	162 - 163
94.	XXXI-14	सचिवालय प्रशासन लेखा (मुख्यमंत्री कार्यालय) अनुभाग–6	163
95.	XXXI-15	सामान्य प्रशासन अनुभाग	163 -166
96.	XXXII-1	राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1	167 - 168
97.	XXXII-2	राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2	168 - 169
98.	XXXIII-1	प्रोटोकाल अनुभाग	169 - 170
99.	XXXIV-1	सूचना प्रौद्योगिकी एवं वाह्य सहायतित परियोजना अनुभाग	171 - 173
100.	XXXV-1	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1	173
101.	XXXV-2	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2	173 - 174
102.	XXXV-3	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3	174

103.	XXXV-4	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4	174
104.	XXXV-5	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–5	174
105.	XXXVI-1	न्याय अनुभाग–1	174 - 1
106.	XXXVI-2	न्याय अनुभाग–2	176 - 1
107.	XXXVI-3	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा अनुभाग–1	180 - 1
108.	XXXVI-4	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा अनुभाग–2	182 - 1
109.	XXXVII-1	पुनर्गठन अनुभाग	187
110.	XXXVIII-1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग	188

परिशिष्ट–2

उत्तरांचल के विभागों/अनुभागों के मध्य कार्यबंटवारा

I. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा अनुभाग– (1)

विधान सम्बन्धी कार्यो एवं निम्नांकित अधिनियमों/नियमावलियों का कार्यान्वयनः–

I- विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001

II- विद्युत अधिनियम, 2003

III- उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

IV- उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

V- भारतीय विद्युत नियमावली, 1956/विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन तथा विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2003 के अधीन समय–समय पर निर्गत नियमावलियां।

VI- उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत नियमावलियां प्रख्यापन सम्बन्धी कार्य।

I- विद्युत सुरक्षा विभाग के समूह 'क' व 'ख' के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य एवं विभाग का स्ट्रक्चर, पदों की स्वीकृति, सेवा शर्ते का निर्धारण/ नियमावलियां।

II- उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का स्टाफ स्ट्रक्चर व पदों की स्वीकृति एवं सेवा शर्ते का निर्धारण/ सेवा नियमावलियां।

III- उरेडा का स्टाफ स्ट्रक्चर व पदों की स्वीकृति एवं सेवा शर्ते का निर्धाण/ सेवा नियमावलियां।

IV- उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तो सम्बन्धी समस्त कार्य।

उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग के बजट सम्बन्धी में समस्त कार्य।

04– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित में वित्त स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदों एवं अनुपूरक अनुदानों सम्बन्धी समस्त कार्य।

05– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग आयोजनागत/आयोजनेत्तर व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।

06– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित में संसद विधान सभा प्रश्न सूचनायें तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

07– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्ध में भारत महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

08– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्ध में रा पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य।

09– ऊर्जा विभाग के सामान्य विषयों से सम्बन्धित कार्य।

10– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग के यथा स्थि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिष्ठान विदेश भ्रमण तथा कार्मिकों संबंधी अन्य सम कार्य।

11– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग से संबंधित समस्त प्र की शिकायतें एवं उन पर कार्यवाही संबंधी कार्य।

12– उरेड़ा, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग व विद्युत सुरक्षा विभाग से संबंधित वादों त याचिकाओं का निस्तारण एवं समन्वय।

13– मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री की अनुभाग को आवंटित कार्य से सम्बन्धि घोषणाओं तथा तत्सम्बन्धी संदर्भो का निस्तारण।

14– शासन द्वारा समय–समय पर गठित समितियों से सम्बन्धित कार्य।

15– अनुसूचित जातियों/जन जातियों/अन्य पिछले वर्गो आदि के सेवाओं में आरक्षण सम्ब समन्वय कार्य।

16– भूमि अध्याप्ति एवं अनुग्रहण के मामलें तथा इससे सम्बन्धित मुआवजा तथा सेवायोजन।

17– पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी समस्त कार्य।

18– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेद पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

I ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा अनुभाग– (2)

1– विधान सम्बन्धी कार्यो एवं निम्नांकित अधिनियमों/नियमावलियों का कार्यान्वयनः–

I- विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001

II- विद्युत अधिनियम, 2003

III- भारतीय विद्युत नियमावली, 1956

VI- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001

V- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

VI- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

VII- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) नियमावली, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

VIII- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) नियमावली, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

IX- उत्तरांचल ऊर्जा विकास अधिनियम, 2003

X- उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि नियमावली, 2004

02– उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत नियमावलियां प्रख्यापन सम्बन्धी कार्य।

03– I- यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के उच्च प्रबन्धन वर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते का निर्धाण आदि का कार्य।

II- यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के स्टाफ स्ट्रक्चर व पदों की स्वीकृति संबंधी कार्य।

04– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के उच्च प्रबन्धन श्रेणी के अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध की जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का कार्य।

05– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।

06– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त कार्य।

07– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के आयोजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।

08– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के संसद एवं विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

09– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल से सम्बन्धित भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परी के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

10– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल से सम्बन्धित राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य।

11– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के सहायिकी/अनुदान, इक्विटी, ऋण संबंधी व बाह्य सहायतित परियोजनाओं/केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सहायता/ऋण संबंधित निवेश अनुमोदन/शासकीय गारन्टी/अण्डरटेकिंग तथा तत्संबंधी समस्त कार्य।

12– शासकीय विभागों द्वारा विद्युत देयों/सहायकी के भुगतान का अनुश्रवण।

13– विभिन्न बैंको केन्द्रीय उपक्रमों पर बकाया धनराशि के भुगतान एवं तत्संबंधी समाधा योजना।

14– पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं संबंधी कार्य।

15– जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।

16– अनुभाग को आवंटित कार्यो से संबंधित लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा से संबंधि प्रश्नों सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

17– ऊर्जा सैल का अधिष्ठान संबंधी कार्य।

18– मा0 मुख्यमंत्री /मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री की यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल से संबंधि घोषणाओं तथा तत्संबंधी संदर्भो का निस्तारण।

19– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल के अध्यक्षों एवं प्रबन्ध निदेशकों/निदेशकों का चय नियुक्ति, विदेश भ्रमण तथा कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी अन्य कार्य। तीनों निगमों कार्मिक संबंधी मामलों में समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य।

20– शासन द्वारा समय–समय पर गठित समितियां।

21– अनुसूचित जातियों/जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गो आदि के लिए सेवाओं में आरक्षा संबंधी समन्वय कार्य।

22– भूमि अध्यापि एवं अधिग्रहण के मामलें तथा इससे संबंधित मुआवजा तथा सेवायोज सम्बन्धी समस्त कार्य।

23– राज्य पुनर्गठन से संबंधित कार्य।

24– यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल से संबंधित वादों तथा याचिकाओं का निस्तारण एवं समन्वय।

25– उद्योग बन्धु तथा औद्योगिक संस्थाओं/संस्थानों से संबंधित संदर्भ (चैम्बर ऑफ एसोसिएशन)

26– बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य।

27– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

II. सिंचाई

1– निम्न अधिनियमों/विनियमों सम्बन्धी समस्त कार्य:–

(क) नार्दन इण्डिया कैनांल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट।

(ख) स्टेट टयूबवैल एक्ट।

(ग) कुमॉयू एवं गढ़वाल वाटर कलैक्शन, रिटेंशन एण्ड डिस्ट्रब्यूशन ऐक्ट।

2– श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य जिसमें निम्नी सम्मलित है:–

(क) सेवा नियमावलियों समबन्धी कार्य।

(ख) लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

(ग) डेलीगेशन, सेमीनार तथा कमेटियों सम्बन्धी कार्य।

(घ) उक्त सेवा संवर्गो के अधिकारियों के सेवा निवृतिक लाभों, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित कार्य।

(ड) इम्प्रेस्ट एडवांस तथा अभियंत्रण सेवा से सम्बन्धित कार्य।

(च) अखिल भारतीय अभियंत्रण सेवा से सम्बन्धित कार्य।

3– सिंचाई विभाग के उप राजस्व अधिकारियों से सम्बन्धित अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

4– लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों सूचनाओं/आश्वासनों तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धी समस्त कार्य।

5– श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के सेवा से सम्बन्धित कोर्ट केस।

6– विभिन्न अनुबन्धों से सम्बन्धित समस्त विवाचन प्रकरण।

7– समस्त परियोजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य (यथा–टिहरी बॉध/ भाली/लखवाड़/जमरानी, आदि) एवं उनसे सम्बधित कोर्ट केस/लोक सभा/ सभा/ विधान सभा प्रश्न/आश्वासन आदि समस्त कार्य।

8– श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

9– विभिन्न प्रकार के अग्रिमों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

10– मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणओं से सम्बन्धित कार्य।

11– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धी कार्य।

12– वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/राज्यपाल को दी जाने वाली सूचनाएं।

13– सैन्य सेवा छूट सम्बन्धी कार्य।

14– सरकारी धन की संरक्षा सम्बन्धी कार्य।

15– पुरस्कार तथा उपाधियों समबन्धी कार्य। अन्तर्राजयीय विवाद।

16– जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल एवं अनुरक्षण कार्य।

17– पुनर्वास/विस्थापन से सम्बन्धित समस्त कार्य।

18– गंगा मैनेजमेनट/अपर यमुना बोर्ड से सम्बन्धित समस्त कार्य।

19– विधायकों एवं सांसदों के पत्रों का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।

20– सचिव समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

21– सिंचाई विभाग के ऐसे समस्त कार्य जो अनुभाग की कार्य सूची में सम्मिलित न हो।

22– ऐसे कार्यों का समन्वय जो एक से अधिक विभागों व पटल से सम्बन्धित हो।

23– राज्य पुनगर्ठन सम्बन्धी समस्त कार्य।

24– आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर बजट सम्बन्धी समस्त कार्य, जिसमें नीचे अंकित मदें सम्मिलित हैं:–

(क) मा0 मंत्री जी का बजट भाषण, विधान सभा के बजट सत्र में उठाये गये प्रश्नों निराकरण तथा अनुपूरक मागों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

(ख) परफारमेन्स बजट।

(ग) प्राप्तियों का बजट।

(घ) आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर अवधि में व्यय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्रगति सम्बन्धित कार्य।

(ड) भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अनुदानों से सम्बन्धित कार्य।

25– श्रेणी "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

26– सिंचाई विभाग की भूमि/भवन सम्बन्धी समस्त कार्य।

27– भवन निर्माण एवं रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।

28– नहर निर्माण/नलकूप निर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

29– राज्य सभा/लोक सभा तथा विधान सभा के प्रश्नों सूचनाओं एवं विभिन्न समितियों से संबंधित कार्य।

30– आडिट आपत्तियों, लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य।

31– राजस्व कार्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

32– मोटर गाडियों सहित नहर/नलकूपों के बारे में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना एवं उनके रखरखाव से सम्बन्धित समस्त कार्य।

33– मोटर गाडियों एवं स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी तथा गाडियों के रख–रखाव से सम्बन्धित कार्य।

34– श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित लोक सेवा अधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दायर निर्देश याचिका तथा रिट याचिकाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त प्रकरणें का कार्य।

35– अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त कार्य।

36– श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

37– विभिन्न प्रकार के अग्रिम स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्य।

38– कार्यप्रभरित अधिष्ठान/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

39– सिंचाई विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

40– प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।

41– अन्य विभागों के कार्यदायी विभाग के रूप में सम्पादित किये जाने वाले कार्य।

42– राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित कार्य।

43– उत्तर प्रदेश एवं उततरांचल के मध्य कार्मिकों एवं परिसम्पत्तियों का विभाजन सम्बन्धी कार्य।

44– विधायकों एवं सांसदों के पत्रों का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।

45– सचिव समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

46– मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली आख्याये।

47– सिंचाई विभाग से संबंधित ऐसे समस्त कार्य जो अनुभाग की कार्य सूची में सम्मिलित न ह

48– ऐसे विवरण का समन्वय जो एक से अधिक विभाग व पटल से सम्बन्धित हो।

।।–लघु सिंचाई अनुभाग–

1– लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निम्न अधिनियमों/विनियमों से सम्बन्धी समस्त कार्य :–

(i) माईनर इरीगेशन वर्क्स ऐक्ट ।

(ii) स्टेट ट्यूबवैल ऐक्ट।

(iii) कुमांऊ एवं गढ़वाल वाटर कलैक्शन, रिटेंशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऐक्ट।

(iv) समस्त सेवा सवंर्गो की सेवा नियमावलियां।

2– समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धित समस्त एवं निम्न कार्य :–

(1) लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

(2) उक्त सेवा सवंर्ग के अधिकारियों के सेवा निवृति, पैंशन, ग्रेच्युटी तथा सामान्य भवि निर्वाह निधि एवं अन्य सेवा निवृति कार्यो से सम्बन्धित कार्य।

(3) डेलीगेशन, सेमीनार तथा कमेटियों से सम्बन्धित कार्य।

(4) इम्प्रेस्ट एडवांस से सम्बन्धित कार्य।

(5) अखिल भारतीय अभियन्ता, सेवा से सम्बन्धित कार्य।

(6) उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।

(7) समूह 'क' तथा 'ख' संवर्ग के अधिकारियों के चल तथा अचल सम्पत्तियों व विवरण।

3– लघु सिंचाई माइनरों से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यः–

क– प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां।

ख– इमारतों और निरीक्षण भवनों का निर्माण अनुरक्षण तथा विद्युतीकरण।

ग– संसद तथा विधान मण्डल प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

घ– आडिट आपत्तियों, लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित कार्य।

च– प्राविधिक परीक्षक की आपत्तियां एवं आख्याओं पर कार्यवाही।

छ– विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन की प्रगति आख्याएं।

ज– भारत सरकार से विभिन्न मामलों में प्राप्त निर्देश पर कार्यवाही।

4– प्रतिबन्धित मानचित्र।

5– प्रचार एवं प्रदर्शनियां।

6– स्टडी टीमों को सुविधायें देना।

7– विशिष्ट व्यक्तियों (वी0आई0पी0) से सम्बन्धित मामले।

8– क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से सम्बन्धित कार्य।

9– केन्द्रीय जोनल कौंसिल।

10– (1) लघु सिंचाई परियोजनाओं (नहर, हाईड्रम लिफ्ट स्कीम आदि) तथा जिला योजनाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यः–

क– प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृतियों (मोटर गाडियों सहित) हाईड्रम लिफ्ट स्कीमों के रख–रखाव की शिकायतों पर कार्यवाही।

ख– धारा– 80 सी0पी0पी0 की नोटिसों पर कार्यवाही।

(2)– स्प्रेकलर सिंचाई से सम्बन्धित कार्य।

(3)– हाईड्रम/लिफ्ट स्कीम के लिये मशीनों, उपकरणों, स्पेयर पार्टस तथा भण्डार सामग्री की खरीद।

(4)– गबन के मामलों पर कार्यवाही।

(5)– सरकारी धन एवं सम्पत्ति की चोरी के मामलों पर कार्यवाही।

(6)– हानि एवं कमियां।

11– श्रम अधिनियम।

12– लघु सिंचाई विभाग के अराजपत्रित अधिष्ठान से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यः–

क– शासन स्तर पर पदों का सृजन नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि से सम्बन्धित कार्य।

ख– शिकायतें एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले।

ग– प्रतिनियुक्ति, वाह्य सेवा तथा प्रशिक्षण।

घ– चिकित्सा सुविधायें।

च– राजकीय भाषा (हिन्दी) से सम्बन्धित मामलें।

छ– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले।

ज– कर्मचारी सेवा संघों को मान्यता।

झ– कर्मचारी संघों की मांगे।

ञ– अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां।

13– 1– लघु सिंचाई विभाग के समस्त अस्थाई पदों (राजपत्रित व अराजपत्रित) का सृजन सान्तत्य व उनका स्थायीकरण तथा वेतन मानों का पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित मामलें।

2– लेखन सामग्री तथा रद्दी कागजात का निस्तारण।

3– लघु सिंचाई स्थाई समिति।

4– सन्दर्भ पुस्तकों से सम्बन्धी कार्य।

5– अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक प्रालेखों से सम्बन्धित कार्य।

14– आयोजनागत एवं अयोजनेत्तर बजट सम्बन्धी समस्त कार्य जिसमें निम्न मदें भी सम्मिलित है:–

क– मा0 मंत्री जी का बजट भाषण, विधान मंडल के बजट सत्र में उठाय गये प्रश्नों का निराकरण तथा अनुपूरक मांगो से सम्बन्धित समस्त कार्य।

ख– परफोर्मेन्स बजट।

ग– प्राप्तियों का बजट।

घ– आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर अवधि में व्यय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्रगति से सम्बन्धित कार्य।

ड.– भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अनुदानों से सम्बन्धित कार्य।

15– उपनिवेश योजनाएं।

16– श्रेणी 'क' व 'ख' के अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही/सत्कर्ता जॉच/अभियोजन स्वीकृति आदि के मामलें।

17– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आबेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

18– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी मामलें।

19– लघु सिंचाई से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्य सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

20– प्रार्थना पर अग्रिम स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्य।

21– श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित होने वाले मामलें एवं मा0 उच्च न्यायालय में दायर निर्देश याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही।

22– श्रेणी 'ग' एवं 'घ' में कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

III. लोक निर्माण अनुभाग–(1)

समूह क,ख,ग,घ के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।

सेवा नियम (समूह क,ख,ग,घ)

समूह क,ख,ग,घ के कार्मिकों से सम्बन्धित सभी न्यायालय वाद अवमानना वाद।

सम्पति के पंचवर्षय घोषणा पत्रों का परीक्षण, सम्पत्ति के क्रय विक्रय की अनुमत।

विभाग से बाहर सेवा योजन के लिये प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा से सम्बन्धित कार्य।

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण संगठन के अराजपत्रित कर्मचारियों के वर्ग के संगठनों की मांगों से सम्बन्धित कार्य।

खण्डों तथा वृत्तो का पुनर्गठन।

राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का सृजन, निरन्तरता तथा स्थाईकरण।

समूह 'क' के अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं का रख–रखाव।

11. गुप्तचर विभाग, सर्तकता विभाग तथा प्राविधिक समपरीक्षा से सम्बन्धित जांच के सभी म
12. राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
14. ग्राम पंचायत विकास विभाग

III. लोक निर्माण अनुभाग–(2)

1. बजट सम्बन्धी समस्त कार्य (राष्ट्रीय राजमार्गों को छोडकर)
2. वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदों तथा अनुपूरक अनुदानों सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव
3. आयोजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. अन्य विभागों के मार्गों के हस्तान्तरण से सम्बन्धित कार्य।
5. विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति, तथा पंच निर्णायक के अधिनिर्णय (एवार्ड) के विरूद्ध न्यायालय में अपील।
6. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों के सम्बन्धित समस्त कार्य (विधान सभा लोक लेखा समिति तथा याचिका समिति से सम्बन्धित कर्यों को छोडकर)
7. भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
8. मार्गो/सेतु कार्यो से सम्बन्धित विधान सभा प्रश्न एवं विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्र सूचनाओं से सम्बन्धित कार्य।
9. मुख्य सचिव/नियोजन विभाग को वित्तीय/भौतिक प्रगति का मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रेषण।
10. मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित कार्य।
11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

III. लोक निर्माण अनुभाग–(3)

1. राष्ट्रीय राजमार्गो से सम्बन्धित समस्त मामले।
2. केन्द्रीय सड़क निधि।
3. केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें।

नाबार्ड पोषित योजनों।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य।

वाह्य सहायतित योजनायें।

यूडेक तथा सिडकुल से सम्बन्धित कार्य।

महामहिम राज्यपाल/वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री जी का अभिभाषण से सम्बन्धित कार्य।

विभागीय मैनुअल से सम्बन्धित कार्य।

0. सचिव समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही का समन्वय।
1. लोक निर्माण विभाग के सभी अनुभागों का समन्वय का कार्य।
2. शासन द्वारा स्वीकृत सड़क/पुलों की विभिन्न योजनाओं के लिये भूमि अर्जन, अधिग्रहण, पुनर्ग्रहण, हस्तान्तरण एवं परित्याग तथा क्षतिपूर्ति के सभी मामले।
3. सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्य।
4. विधान सभा की लोक लेखा समिति तथा याचिका समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

IV. शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन अनुभाग–(1)

- कुम्भ एवं अर्धकुम्भ मेला, हरिद्वार के बजट, अधिष्ठान तथा प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कार्य)
- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की बीमा योजना।
- सभी स्थानीय निकायों की अनिवार्य जमा योजना।
- स्थानीय निकायों के चुनाव सम्बन्धी कार्य।
- समस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्तों की स्वीकृतिः– आवास भत्ता, महंगाई भत्ता, नकदीकरण की सुविधा, वाह्य सेवा भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता।
- सभी स्थानीय निकायों कोबकाये वेतन के लिए अनुदान।
- वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
- स्वायत्त शासन स्थायी समिति।
- स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ–मीटिंग/मांगों के से सम्बन्धी कार्य।

10– पदों का सृजन।

11– कर्मचारियों के प्रत्यावेदनो पर कार्यवाही।

12– अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के मामले तथा नगर पंचाचायतों पर कार्यवाही।

13– उचित व्यय भार घोषित करना।

14– उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

15– निदेशक, स्थानीय निकाय का अधिष्ठान तथा बजट।

16– समस्त नगर पंचायतों के अकेन्द्रीयत कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले।

17– नगर पंचायतों के अकेन्द्रयित कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा पेंशन नियमावली।

18– नगर पंचायतों में अकेन्द्रीयत पदों का सृजन उनकी निरन्तरता तथा स्थायीकरण।

19– नगर पंचायतों द्वारा संचालित विद्यालयों पर पालिका कोष से होने वाले व्यय की स्वीकृ

20– लेखा कोष्ठक से सम्बन्धित समस्त कार्य।

21– नगर पंचायतों तथा नगर निगमों के आय–व्ययक सम्बन्धी कार्य।

22– शहरी सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही तथा करों के प्रस्तावों पर कार्यवाही।

23– नगर पंचायत वित्त आयोग की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

24– ऋण एवं अनुदानों का समायोजन सम्बन्धी कार्य।

25– राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

26– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धी कार्य।

IV शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन अनुभाग–(2)

1– शहरी विकास से सम्बन्धित नीति विषयक मामले।

2– समस्त स्थानीय निकायों को जुर्माने के बदले अंशदान स्वीकृत करना।

3– सफाई कर्मचारी संघ की विभिन्न समस्याओं संबंधी कार्य।

4– अध्यक्षों तथा सदस्यों का पृथकीकरण तथा निलम्बन।

5– सदस्यों की आयोग्यता हटाना।

6– हटाये गये सदस्यों/अध्यक्षों की अपील।

7– अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन।

8– अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्ध शिकायतें।

9– रिट्स/नोटिस।

10– अध्यक्षों/सदस्यों/कर्मचारियों/के संबंध में शिकायतें।

11– विविध मामले, टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया के संबंध में।

12– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थानीय निकायों द्वारा सुविधायें।

13– पालिकाओं का सृजन, विघटन, अवकमण, उन्नयन, वर्गोत्थान एवं सीमा वृद्धि/परिवर्तन /कार्यकाल वृद्धि।

14– अध्यक्षों तथा सदस्यों के विरूद्ध शिकायतें, उनका निलम्बन, पृथकीकरण, अपील, त्याग–पत्र, तथा क्षतिपूर्ति कार्यवाही।

15– अध्यक्षों के विरू अविश्वास प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन।

16– सदस्यों का मनोयन।

17– पालिका आदेशों/प्रस्तावों का निषेध।

18– पालिकाओं की नीति विषयक मामले।

19– पालिकाओं के अग्निशमन संबंधी मामले।

20– पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के मामले।

21– पालिका संघ के मामले।

22– अविकमण के मामले तथा सुफाई एवं रोशनी की दुर्व्यवस्था की शिकायतों का निराकरण एवं अनुदान की स्वीकृति।

23– विधान परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्यवय संबंधी कार्य।

24– विधान परिषद/विधान सभा की याचिकाओं का समन्यवय संबंधी कार्य।

25– नगर महापालिका (निगम) का प्रशासन जिसमें उनका अवकमण तथा विघटन शामिल है।

26– नगर महापालिका (निगम) उपनगर प्रमुख तथा महापालिका सदस्यों के विरूद्ध शिकायतें।

27– महापालिकाओं (निगम) द्वारा दिये जाने वाले अभिनन्दन पत्र।

28– महापालिकाओं (निगम) तथा अन्य किसी स्थानीय निकास अथवा बिजली कम्पनी के मध्य विवाद।

29– महापालिका (निगम) का प्रशासनिक प्रतिवेदन।

30– महाकपालिका (निगम) का सीमायें।

31– महाकपालिका (निगम) की संपत्ति, सडकों तथा भवनों और पुलों से संबंधितसमस्त मामले

32– महापालिका (निगम) के लिये भूमि अध्यापित जिनमें स्वायत्त शासन शाखा के अनुभागों संबंधित प्रयोजनों के लिये भूमि अध्यापित नहीं होगी।

33– महापालिका (निगम) के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, अतिरिक्त भण्डार के नि निष्पादन से संबंधित सभी मामले।

34– महापालिका (निगम) के अधीन आयोजित मेले तथा प्रदर्शनी जिसमें प्रान्तीय मेले शामिल न होगें।

35– महापालिकाओं (निगम) से संबंधित समस्त मामले।

36– नगर महापालिकाओं (निगम) में कम्पोस्ट प्लान्ट की स्थापना।

37– नगर महापालिकाओं (निगम) में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना।

38– नगर महापालिका (निगम) कर्मचारी महासंघ/मांगों से सम्बन्धित कार्य।

39– सफाई अभियान।

40– नगरपालिकाकओं की संपत्ति तथा भवनों से संबंधित समस्त मामले।

41– नगरपालिकाओं के लिये भूमि अध्यप्ति।

42– नगरपालिकाओं के अतिरिक्त भण्डारों का निस्तारण।

43– कैन्टोनमेंट बोर्ड के लावारिस जानवरों के काजी हाउस में बन्द होने से प्राप्त जुर्मानों व प्रतिपूर्ति।

44– नगरपालिकाओं के अधीन आयोजित मेले तथा प्रदर्शनी।

45– संसद विधान सभा प्रश्नों विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं तथा विधान सभा व विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

46– लोक लेखा समिति से संबंधित मामलों का समन्वीकरण।

47– आयुक्तों एवं जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकारों का प्रतिनिधान।

48– नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं (निगम) को ऋणग्रस्त घोषित करना।

49– बैकों में नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं (निगम) की निधियों को जमा किया जाना।

50– स्थानीय वित्तीय जांच कमेटी तथा कर निर्धारण जांच कमीशन की सिफारिशें।

51– नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय प्रपत्रों का स्थानीय मुद्रण।

तहबाजारी तथा अन्य शुल्कों से नगरपालिकाओं के आय के साधन।
नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं (निगम) द्वारा जलकर तथा जल निस्तारण कर को छोडकर अन्य करों का निर्धारण।
आश्वासन समिति समन्वय कार्य।
स्थानीय निकायों के करों तथा बजट से सम्बन्धित सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ एल0एस0जी0 के प्रस्तावों पर कार्यवाही।
स्थानीय निकायों के यात्री कर से सम्बन्धित अनुदान/प्रकीर्ण अनुदान एवं तद्विषयक समस्त मामले।
पालिकाओं का समस्त प्रशासनिक कार्य, सफाई, जनस्वास्थ्य, पशुपालन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पालिका सम्पत्ति पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा।
मलीन बस्ती सुधार योजना।
छोटे तथा मध्यम नगरों की समेकित विकास योजना।
राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेनद पत्रों से सम्बन्धी कार्य।

V. आवास अनुभाग–(1)

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 ।
उत्तर प्रदेश (निर्माण संकिया विनियमन) नियमावली, 1985।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्रों तथा उनके नियत प्राधिकारी एवं नजूल भूमि से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान विषयक कार्य।
उत्तर प्रदेश नगर और ग्राम नियोजन सेवा नियमावली, 1987 (निर्माण संकिया विनियमन) नियमावली, 1985।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र, नियत प्राधिकारियों के कार्यालय एवं नजूल भूमि से सम्बन्धित बजट के समस्त कार्य।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं विनियमित क्षेत्र की वित्तीय स्वीकृतियां, व्यय की नये मदे एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।

7– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं विनियमित क्षेत्र तथा नजूल सम्बन्धी संसद एवं सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

8– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं विनियमित क्षेत्र तथा नजूल सम्बन्धी भारत महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

9– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं विनियमित क्षेत्र तथा नजूल सम्बन्धी महा उपलब्धियां एवं नजूल से सम्बन्धित मामलों के समन्वय सम्बन्धी कार्य।

10– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं नगर भूमि सीमारोपण के राज्य पुनर्गठन स समस्त कार्य ।

11– नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, नगर पंचायतों की नजूल भूमि आवंटन।

12– नजूल मैनुअल का पुनरीक्षण एवं संशोधन तथा नजूल नीति का प्रख्यापन/नियोजन नजूल भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी कार्य।

13– मास्टर तथा रीजनल प्लान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

14– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अवेदन प्रत्रों से सम्बन्धित कार्य।

15– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धित कार्य।

V. आवास अनुभाग–(2)

1– उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973

2– उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986

3– विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।

4– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985

5– विकास प्राधिकरणों के बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य।

6– विकास प्राधिकरण सम्बन्धी संसद विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा उनकी समिति सम्बन्धित समस्त कार्य।

7– विकास प्राधिकरण सम्बन्धी भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

8– विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धी महत्वपूर्ण उपलब्धियों, आवास अनुभागों के बजट विषयक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की रिपोर्ट व अल्पसंख्यक आयोग सम्बन्धी समन्वय कार्य।

9– विकास प्राधिकरणों हेतु भूमि अर्जन के प्रकरण, भूखण्ड एवं भवन आवंटन एवं प्राधिकरणों से प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों पर कार्यवाही ।

10– एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, मलिन बस्ती सुधार, विभिन्न आय वर्गो हेतु गृह निर्माण योजना तथा भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना सम्बन्धी कार्य।

11– आवास सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनायें, सोसल हाउसिंग स्कीम, हडकों से आवास योजनाओं हेतु ऋण तथा विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल उपलब्ध कराना।

12– वित्त आयोग के प्रकरण, भारत सरकार की परियोजनायें तथा 20 सूत्रीय कार्यकम से सम्बन्धित समस्त कार्य।

13– नये विकास प्राधिकरणों का गठन तथा विदेशों में प्रशिक्षण सम्बन्धी मामले (विकास प्राधिकरणों के सम्बन्ध में) ।

14– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

15– राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

VI.संस्कृति पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–(1)

1. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद अधिनियम संबन्धी समस्त कार्य।
2. पर्यटन नीति से सम्बन्धित कार्य।
3. पर्यटन सम्बन्धी समस्त कियाकलापों का संचालन, नियंत्रण, निष्पादन एवं समन्वय।
4. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का गठन, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन।
5. पर्यटन कोष की स्थापना।
6. पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों हेतु नियमां व मानकों का गठन।

25. मार्गीय सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही।
26. संचालित भ्रमण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश/नीति निर्धारित करना।
27. क्षेत्रीय पर्यटन सलाहकार समितियों का गठन।
28. होटलों का वर्गीकरण करना तथा उन्हें प्रमाण पत्र देना।
29. देहरादून/अल्मोडा के होटल प्रबन्धन संस्थान से सम्बन्धित कार्य।
30. इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनजमेंट सोसाईटी से सम्बन्धित कार्य।
31. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
32. गढवाल मण्डल विकास निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
33. पर्यटन गन्तव्यों के सुनियोजित विकास हेतु नियोजन कार्य।
34. पर्यटन संबंधी समस्त नियोजन, अनुश्रवण, नियमन, निति निर्धारण एवं अन्य समस्त कार्य।
35. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धि कार्य।

पूर्त एवं धर्मस्व कार्य

1. मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था।
2. धर्माथ संस्थाओं को अनुदान।
3. विलीनीकृत राज्यों के मंदिरों की व्यवस्था एवं नियंत्रण तथा अनुदान।
4. प्रदेश में स्थित अन्य प्रान्तों के मंदिरों का धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था आदि।
5. प्रदेश के समस्त धार्मिक मंदिरों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों आदि जांच तथा उनका निस्तारण।
6. प्रदेश में विद्यमान लोक महत्व के तीर्थ स्थलों पर स्थित मंदिरों आदि के अधिग्रहण सम्बन्धी विधिक कार्यवाहीं।
7. उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत चलने वाले वादों, याचिकाओं (रिटों) से सम्बन्धित कार्य।
8. धर्मार्थ कार्यो व विशिष्ठ मंदिरों/धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में विधि/ नियम/ अधिनियम।
9. श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति से सम्बन्धित कार्य।
10. चार धाम विकास परिषद से सम्बन्धित कार्य।
11. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

13. The Riligious Societies Act, 1880
14. The Indian Trusts Act, 1882
15. The Charitable Enbdownments Act, 1894
16. The Charitable and Religious Trusts Act, 1920
17. The Religious Institutions (Pevention of Missuse) Act, 1988
18. The places of Worship (Special Provisions) Act, 1991
19. The Wakf Act, 1995
20. The Haj Act
21. The Badrinath and Kedarnath Temples Act, 1939
22. Acts related to Sikh adn Cristian relihious injstitution
23. उत्तरांचल वक्फ बोर्ड एवं उत्तरांचल राज्य हज समिति से संबंधित कार्य।

VI. संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–(2)

खेलकूद

1. खेल नीति से सम्बन्धित कार्य।
2. श्रेणी क तथा ख के कार्मिक से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान का कार्य।
3. अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. बजट से संम्बन्धित अन्य समस्त कार्य।
5. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित कार्य।
6. भारत के महालेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
7. सम्वन्य संम्वन्धी कार्य।
8. पुनर्गठन सम्दन्धी कार्य।
9. भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों को सहायता।
10. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों को सहायता।
11. खिलाडियों को प्रशिक्षण, खेल शिवरों का आयोजन एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।
12. जिला खेलकूद प्रोत्साहन समितियों सम्बन्धी कार्य।
13. राज्य खेल पुरूस्कार से सम्बन्धी कार्य।
14. अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगितायें।
15. किडा प्रतिष्ठानों का निर्माण विकास एवं अनुरक्षण।

16. उत्तरांचल सिविल सर्विसेज कण्ट्रोल बोर्ड।
17. उत्तरांचल स्पोट्रसमैन वेलफेयर ट्रस्ट।
18. पर्वतारोहण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
19. खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिये भारत सरकार व अन्य श्रोतों से निवेश प्राप्त करने संम्बन्धी कार्य।
20. खेल संघो/क्लबों/समितियों को अनुदान सम्बन्धी कार्य।
21. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेद पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

युवा कल्याण

1. पी0आर0डी0 अधिनियम, 2003.
2. श्रेणी क तथा ख के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।
3. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।
4. बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।
5. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6. भारत के महालेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
7. सम्वन्य सम्बन्धी कार्य।
8. पुनर्गठन से सम्बन्धी कार्य।
9. युवक एवं महिला मंगल दलों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
10. युवा कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
11. युवा कल्याण संस्थान सम्बन्धित समस्त कार्य।
12. अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष सम्बन्धित समस्त कार्य।
13. नेहरू युवक केन्द्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
14. राज्य युवा कल्याण परिषद से संम्बन्धित कार्य।
15. स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण सम्बन्धी कार्य।
16. भारत सरकार युवा मामले मंत्रालय से समन्वय एवं विभिन्न योजनाओं में अनुदान प्राप्त करने विषय कार्य।
17. प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष से सम्बन्धित कार्य।

18. ग्रामीण खेल अवस्थापना सुविधायें एवं ग्रामीण खेलकूद का विकास।
19. युवा संगठनों को सहायता।
20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

संस्कृति

1. ऐन्सियेंट मोनुमेंट ऐक्ट।
2. लोक अभिलेख अधिनियम।
3. एण्टिक्विटी ऐक्ट।
4. समूह क तथा ख के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।
5. अधिष्ठान संम्बन्धी समस्त कार्य।
6. बजट से संबन्धित कार्य।
7. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित कार्य।
8. भारत के महालेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन संम्बन्धी कार्य।
9. सम्वन्य संम्बन्धी कार्य।
10. पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
11. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उत्तरांचल।
12. भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोडा/देहरादून।
13. राजकीय संग्रहालय अल्मोडा।
14. राजकीय अभिलेखागार, उत्तरांचल।
15. क्षेत्रीय पुरातत्व इकाईयों से सम्बंधित कार्य।
16. साहित्य कला परिषद से सम्बन्धित कार्य।
17. शासन द्वारा गठित अन्य संस्थायें।
18. प्रदेश के निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थओं को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान।
19. गैर सरकारी संग्रहालय।
20. संगीत शिक्षण संस्थायें।
21. संस्कृति की प्रोन्नति में रत निजी संस्थायें।
22. फिल्म एण्ड टेलीवीजन इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ इण्डिया पूना तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में पढने वाले राज्य के छात्रों की छात्रवृत्ति/सहयोग।

22-1- कार्यालय / तेरवेक्ष / अनुदान

23. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता।
24. उत्तरांचल मुद्रा समिति।
25. ट्रेजर टोव (निखात निधि)
26. पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा उनके कार्यालयों से सम्बन्धित कार्य।
27. रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित कार्य।
28. प्रदेश के विभिन्न अंचलों से मूर्तियों तथा कला कृतियों का संग्रह तथा क्रय।
29. क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना।
30. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की मूर्तियों तथा कला कृतियों का संग्रह तथा क्रय।
31. राज्य सरकार द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्मारकों/स्थलों का रख–रखाव तथा संरक्षण।
32. ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का सर्वेक्षण तथा उत्खनन।
33. संस्कृति विभाग से सम्बंधित विधि/नियमों/अधिनियमों का गठन।
34. उत्तरांचल संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद, से सम्बन्धित कार्य।
35. तीर्थाटट व धार्मिक यात्राओं व यात्रियों से संबंधित व्यवस्था का कार्य।
36. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

VII. औद्योगिक विकास (उद्योग एवं लघु उद्योग) एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग(1)

1. खान अधिनियम, 1952
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
3. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959
4. खनिज परिहार नियमावली, 1960
5. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
6. लौह कृत खान नियमावली, 1966
7. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
8. पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986
9. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988

10. उत्तरांचल उप खनिज परिहार नियमावली, 2001
11. उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005
12. उद्योग निदेशालय के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य
13. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य
14. राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठ कार्य
15. उद्योग विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं राजकीय मुद्रणालय के बजट से सम्बन्धि समस्त कार्य
16. विनियोग लेखों/ड्राफ्ट प्रस्तर/आडिट पैरा से सम्बन्धित कार्य
17. उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ/भारत सरकार के संदर्भ/मुख्य सचि संदर्भों से सम्बन्धित कार्य।
18. बजट से सम्बन्धित कार्य
19. प्लान से सम्बन्धित समन्वय कार्य
20. उद्योग विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा राजकीय मुद्रणालय के कार्मिकों से सम्बन्धि राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य
21. प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस एवं खनन पट्टों से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं रिट याचिकाएं
22. उपखनिज अनुज्ञा पत्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं रिट याचिकाएं
23. खनिज नीति, 2005 विषयक कार्य
24. उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून से सम्बन्धित कार्य
25. भारी एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य
26. भारी एवं मध्यम उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु बी0आई0एफ0आर0 से संदर्भि पैकेज का अनुश्रवण
27. मुद्रण एवं लेखन सामग्री मैनुअल
28. विभिन्न प्रकाशनों का वितरण

29. रद्दी का निस्तारण
30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धी कार्य।
31. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
32. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

VII. औद्योगिक विकास (उद्योग एवं लघु उद्योग) एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

1. इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन्स) एक्ट, 1951
2. लघु उद्योग पंजीकरण ऐक्ट, 1993
3. एस0ए0 सर्कुलर V (1793/एस.एस./बी.डी.एण्ड पॉलिसी) 25.10.1993
4. औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993
5. उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फेसिलिटेशन कांउसिल नियमावली, 2001
6. लघु उद्योग के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य
7. उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य
8. सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य
9. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य
10. सार्वजनिक उपक्रम के बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य
11. राज्यपाल अभिभाषण/वित्त मंत्री/उद्योग मंत्री बजट भाषण से सम्बन्धित कार्य
12. केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना
13. केन्द्रीय/राज्य परिवहन उपादान योजना
14. संसद एवं विधान सभा प्रश्नों तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
15. उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री /भारत सरकार के/मुख्य सचिव के संदर्भों से सम्बन्धित कार्य।

16. वित्त विभाग के स्तर पर होने वाली पाक्षिक/मासिक समीक्षा बैठकों से सम्बन्धित समन्वय कार्य
17. विधान मण्डल/संसद प्रश्नोत्तर प्रकरणों का समन्वय कार्य
18. सतर्कता विभाग से प्राप्त संदर्भों का समन्वय कार्य
19. प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त संदर्भों का समन्वय
20. कार्मिक विभाग से प्राप्त संदर्भों का समन्वय कार्य
21. लघु उद्योग उत्तरांचल, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों सम्बन्धित राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य
22. उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
23. लघु उद्योगों की स्थापना
24. लघु रूग्ण इकाईयां
25. एग्रो प्रोसेसिंग जोन
26. मण्डल स्तरीय व्यापार कर छूट
27. सैन्सस
28. राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास परिषद
29. उद्योग मित्र
30. जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
31. उद्यमिता विकास सलाहकार समिति
32. विदेशों में प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य
33. प्रदूषण नियंत्रण एवं औद्योगिक पर्यावरण का समस्त कार्य
34. विजिट्स/प्रोटोकाल सम्बन्धित कार्य
35. समीक्षा बैठके/स्टाफ मीटिंग
36. हिन्दी प्रगति विषयक कार्य।
37. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

38. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

VIII. श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

(क) **भारत सरकार के निम्न अधिनियमों से सम्बन्धित कार्यः–**

1– भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923
2– कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
3– व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926
4– बाल (बन्धक श्रम) अधिनियम, 1933
5– वेतन संदाय अधिनियम, 1936
6– सेवायोजक दायित्व अधिनियम, 1938
7– साप्ताहिक अवकाशों का अधिनियम, 1942
8– औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
9– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
10– न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
11– कारखाना अधिनियम, 1948
12– बागान श्रम अधिनियम, 1951
13– सांख्यिकीय संकलन अधिनियम, 1953
14– वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूज पेपर इम्पलाइज (कण्डीशन्स ऑफ सर्विस एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स) एक्ट, 1955
15– वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958
16– बीडी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
17– मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
18– मातृका हितलाभ अधिनियम, 1961
19– बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
20– संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970
21– आनुतोषिक भुगतान अधिनियम, 1972
22– समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976

23– बन्धित श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

24– सेल्स प्रमोशन इम्पलाइज एक्ट, 1976

25– बीडी कर्मकार कल्याण कोष अधिनियम, 1976

26– बीडी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

27– अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकर (नियोजन का विनियम एवं सेवा शर्ते)अधिनियम, 1979

28– चलचित्र कॅर्मकर ओर चलचित्र गृह कर्मकार (नियोजन का विनियम)अधिनियम, 1981

29– खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983

30– बाल श्रम (निषेध तथा विनियम) अधिनियम, 1986

31– भवन एवं अन्य संनिर्माण कम्रकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996

32– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार, कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

(ख)– केन्द्रीय अधिनियम जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार को नियमावलियां बनानें शक्तियां प्रदत्त नहीं है, के अन्तर्गत निर्मित निम्न केन्द्रीय नियमावलियों से सम्बन्धि कार्यः–

1– बीडी श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1977

2– बंधुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन) नियमावली, 1976

3– चलचित्र कर्मकार और चलचित्र गृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियमावली, 1984

4– समान परिश्रमिक नियमावली, 1976

5– बोनस भुगतान नियमावली, 1975

6– सेल्स प्रमोशन इम्पलाईज (कण्डीशन्स ऑफ सर्विस) नियमावली, 1976

7– वर्किंग जर्नलिस्ट (कडिशन्स ऑफ सर्विस एण्ड मिसलेनियम प्रोविजन्स) नियमावली, 1957

(ग)– केन्दीय श्रम अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित ए उत्तरांचल सरकार द्वारा उपान्तरित एवं अनुकूलित निम्न नियमावलियों से सम्बन्धि कार्यः–

1– उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली,2001(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली,1975) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

3– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यवसायिक ब्याधियां) नियमावली,1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

4– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली 1964) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश2002

5– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियमन, 1927) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

6– उत्तररांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

7– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन निमावली, 1952) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

8– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

9– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली,1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

10– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली,1955) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

11– उत्तरांचल फैक्ट्रीज (कंट्रोल आफ इण्डस्ट्रीयल मेजर एक्सीडेंन्ट हेजार्डस्) रुल्स, 1996 अनुकूलन एवं अपान्तरण आदेश2001

12– उत्तरांचल (औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली,1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

13– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रकिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोज्य नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

14– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रकिया) नियमावली,1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

15– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बागान श्रम नियमावली,1957) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

16– उत्तरांचल (श्रम जीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) नियमावली, 1957) अनुकूलन उपातरण आदेश 2002

17– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (सेवा की शर्ते) नियमावली, 1969) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश 2002

18– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962) अनुकूलन उपातरण आदेश,2002

19– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपात आदेश,2002

20– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975) अनुकूलन एवं उपात आदेश, 2002

21– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा से शर्ते) नियमावली,1983) अनुकूलन एवं उपातरण आदेश,2002

22– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन)नियमावली,1994) अनुकूलन एव उपातरण आदेश,2002

23– उत्तरांचल संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) नियमावली, 2003

24– उत्तरांचल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियम नियमावली, 2005

(घ)– केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नि नियमावलियां जिनका उत्तरांचल सरकार द्वारा उपान्तरण एवं अनुकूलन नहीं किया ग है,से सम्बन्धित कार्यः–

1– कर्मकार प्रतिकर (बेन्यू आफ प्रोसिडिंग) नियमावली 1996

(ड़)– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित श्रम अधिनियम जिन्हें उत्तरांचल सरकार द्व उपान्तरित एवं अनुकूलित किया गया है से सम्बन्धित कार्यः–

1– उत्तरांचल दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम1962, (अनुकूलित एवं उपान्तरित आदेश 2001)

1– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

3– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवादों को संराधन समिति के समक्ष सन्दर्भित करने की प्रकिया के आदेश) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

4– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन(राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

5– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बदली कर्मचारियों का सेवायोजन अधिनियम, 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

6– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रमों में (बेकारी) निवारण के लिए विशेष उपबन्ध का अधिनियम, 1966) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

7– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर एल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

9– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

(च)– उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित निम्न नियमावलियां जिनका उत्तरांचल सरकार द्वारा उपान्तरण एवं अनुकूलन किया गया है,सम्बन्धित कार्यः–

1– उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान,नियमावली(अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश,2001

2– उत्तरांचल औद्योगिक नियोजनमाडल स्थायी आदेश,2001(अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

3– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली,1957)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

4– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली,1972) अनुकूलन एवं उपा
आदेश, 2002 ।

5– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली,19
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

6– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु नियमावली,
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

7– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन(राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली,1965) अनुकूलन
उपान्तरण आदेश, 2002 ।

8– उत्तरांचल (वेतन भुगतान अधिनियम,1936 अर्थदण्ड लगाने की नियमावली) अनुकूलन
उपान्तरण आदेश, 2002 ।

9– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपि
प्रदान किये जाने) विनियमन की नियमावली,1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

10– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और वि
निधि नियमावली,1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

**(छ)– उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित नियमावलियां जिन
उत्तरांचल सरकार द्वारा उपान्तरण एवं अनुकूलन नहीं किया गया है की सूची :–**

1– उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह नियमावली,1969(उत्तरांचल में श्रम विभाग की
औद्योगिक श्रमिक बस्ती नहीं है)

2– उत्तर प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय प्रकिया नियमावली,1967

3– औद्योगिक न्यायाधिकरण (टैक्सटाइल) प्रकिया नियमावली,1957

**(ज)– उत्तर प्रदेश सरकार के निम्न आदेश जिनका अनुकूलन एवं उपान्तरण किया ग
हैं से सम्बन्धित कार्य:–**

1– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24.4.1990 जिसके अन्तर्गत संविदा श्र
(विनियम तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा–10 की उपधारा (1) तथा (2)
प्राविधानों के अधीन सर्वश्री जय विजय मेटर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी

सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया हैं।) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण उद्योग जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित हैं, के न्यूनतम वेतन के निर्धारण की अधिसूचना दिनांक 15.5.2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

3– उत्तांचल (उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम,1970 की धारा–10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सूती उद्योग की ऐसी प्रकियाओं, विधियों तथा एसे वर्णनों में जो अनुसूची में उल्लिखित हैं, में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

4– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत लेखा वर्ष 1991 से या उसके बाद से 10 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित करनें वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बोनस संदाय अधिनियम,1965 के अन्तर्गत आवर्त घोषित किया गया है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

5– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर कारखानों के अकुशल मौसमी कर्मकारों के देय रिटेनिंग भत्ते के आदेश 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

6– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जीवन निर्वाह भत्ता राजाज्ञां , 1971) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ।

(झ)– समूह "क" व "ख" सेवा संवर्ग का समस्तअधिष्ठान् कार्य जिसमें निम्न भी सम्मिलित है:–

(1) उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली,1991

(2) उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली,1982

(3) उत्तर प्रदेश अंधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली,1992

(4) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली,1981

(5) उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) सेवा नियमावली, 2002

7– बजट सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(ञ) केन्द्र पुरोनिधानित निम्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्यः–

- बंधुवा श्रमिकों-के पुर्नवासन की योजना (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित)

8– वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त कार्य ।

9– आयोजनागत् एवं आयोजनेत्तर व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य ।

10– संसद एवं विधानसभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित् समस्त कार्य ।

11– भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

12– समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य ।

13– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

14– लोकायुक्त सम्बन्धी समस्त कार्य

15– मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/लोक सेवा अधिकरण में दायर वादों से सम्बन्धित् समस्त कार्य ।

(ट) विभाग में गठित निम्न समितियों/बोर्डो/परिषदों से सम्बन्धित कार्य :–

1– न्यनूतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ।

2– उत्तरांचल राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड ।

3– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

4– बंधित श्रम पद्वति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला, परगना स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन ।

5– चीनी मिलों में कार्यरत् कर्मकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु त्रिदलीय समिति गठन ।

(ठ) कर्मचारी राज्य विमा योजना से सम्बन्धित निम्न कार्यः–

1– इम्पलाईज स्टेट इंश्यौरेंस एक्ट, 1948

(ड)– केन्द्रीय श्रम अधिनियम जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार को नियमावलियां बनानें की शक्तियां प्रदत्त नहीं है, के अन्तर्गत निर्मित केन्द्रीय नियमावलियों की सूची :–

1. इम्पलाइज स्टेट इंश्यौरेंस सेंटर नियमावली, 1950
2. इम्पलाइज स्टेट इंश्यौरेंस जनरल रेगुलेशन, 1950

(ढ) समूह "क" व "ख" सेवा संवर्ग का अधिष्ठान् सम्बन्धी समस्त कार्य जिसमें निम्न भी सम्मिलित है:–

(1) उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (भेषजिक) सेवा नियमावली, 1993

(2) उत्तर प्रदेश भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993

(3) उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली–1993

(4) उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थय कार्यकर्ता और स्वास्थय पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) सेवानियमावली –1997

(ण) बजट सम्बन्धी समस्त कार्य जिसमें निम्न सम्मिलित है:–

1– वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त कार्य ।

2– आयोजनेत्तर व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(त)– संसद एवं विधानसभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित् समस्त कार्य ।

(थ)– भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(द)– समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(ध)– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(न)– लोकायुक्त सम्बन्धी समस्त कार्य।

(प)– मा0 उच्चत्तम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/ लोक सेवा अधिकरण में दायर वादों से सम्बन्धित् समस्त कार्य ।

(फ)– प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से सम्बन्धित निम्न कार्य:–

(1) भारत सरकार के अधिनियम :–

1– अप्रन्टिश एक्ट, 1961

2– रिक्तियो का अनिवार्य अधिसूचन, 1959

(2) **भारत सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित निम्न केन्द्रीय नियमावलियां :–**

1– भारत सरकार एन0सी0वी0टी0 द्वारा प्रशिक्षण संचालन नियमावली

2– राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली, भाग–1

3– राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली, भाग–2

4– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की निर्देशिका

(3) **उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुकूलित/उपांतरित अधिनियमों से सम्बन्धित कार्य**

(4) **सेवासंवर्गो के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य जिसमें निम्न कार्य सम्मिलित है:–**

1– उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवानियमावली, 1981 (प्रधानाचार्य)

2– उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण (फोरमैन कार्यदेशक) सेवानियमावली, 1994

3– उत्तरांचल अनुदेशक सेवानियमावली, 2003

4– उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यशाला परिचर और भण्डार परि सेवानियमावली, 1998

5– भण्डार अधिक्षक/भण्डारी/सहायक भण्डारी की सेवानियमावली उपलब्ध नहीं, वि द्वारा अवगत कराया है कि उक्त नियमावली उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनी है।

6– उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लिपिक वर्ग सेवानियमावली, 1982

7– समूह 'घ' कर्मचारी सेवानियमावली, 2004

8– उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवानियमावली, 1981

9– उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

10– उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवानियमावली, 1994

11– कोचिंग सेन्टर के अनुदेशकों की सेवानियमावली, 1996

12– उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लिपिक वर्ग सेवानियमावली, 1982

13– समूह 'घ' कर्मचारी सेवानियमावली, 2004

14– समूह 'ग' व 'घ' के शासन को संदर्भित/प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।

(ब) बजट संबंधी समस्त कार्य जिसमें निम्न सम्मिलित है:–

(1) वित्तीय स्वीकृतियों एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान संबंधी समस्त प्रस्ताव।

(2) आयोजनागत व्यय संबंधी समस्त कार्य।

(भ) संसद एवं विधानसभा तथा उनकी समितियों से संबंधित समस्त कार्य।

(म) भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षा के प्रतिवेदन संबंधी समस्त कार्य।

(य) समन्वय संबंधी समस्त कार्य

(र) राज्य पुनर्गठन संबंधी समस्त कार्य।

(ल) लोकायुक्त संबंधी समस्त कार्य।

(व) मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/ लोक सेवा अधिकरण में दायर वादों से संबंधित समस्त कार्य।

(ह) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहकार समिति सम्बन्धित समस्त कार्य।

(श) राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी सम्बन्धित समस्त कार्य।

(स) इंस्टीटयूट मैनेजमेंट कमेटी (IMC) काशीपुर, देहरादून हल्द्वानी सम्बन्धी समस्त कार्य।

(ष) राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद समबन्धी समस्त कार्य।

(त्र) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

IX. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–(1)

(1)–क–केन्द्रीय मोटर गाडी अधिनियम –1988

(2)–केंद्रीय मोटर यान नियमावली–1998

(3)–उत्तर प्रदेश माटरयान अधिनियम–1997,

(4)–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली–1998,

(5) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003,

ख–उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली–2003,

(6)– श्रेणी क तथा ख, सेवा संवर्ग के अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

(7)–क– उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2004,

ख– उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 2004,

ग– उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली,1980

घ– उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली 1980,

ड़– उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली,1990,

(8)–बजट संबंधी समस्त कार्य।

(9)–वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान संबंधी समस्त प्रस्ताव।

(10)–आयोजनागत व्यय एवं आयोजनेतर संबंधी समस्त कार्य।

(11)–संसद एवं विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा उनकी समितियों से संबंधित समस्त कार्य।

(12)–भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन संबंधी समस्त कार्य।

(13)–राज्य पुनर्गठन संबंधी कार्य।

(14)–अनुभाग में व्यवहरित अन्य कार्य।

(15)–लोकायुक्त से प्राप्त प्रकरण से सम्बन्धित कार्य।

(16)–न्याय एवं विधायी कार्य।

(17)–श्रेणी 'ग' एवं श्रेणी 'घ' के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।

(18)–रेलवे सम्बन्धी प्रकरण।

(19)–उत्तरांचल–नैपाल परिवहन समझौता सम्बन्धी कार्य।

(20)–कर ढांचे को तर्क संगत बनाने हेतु अन्य राज्यों से समन्वय।

(21)–सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय।

(22)–विशेषज्ञ दलों का गठन एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

(23)–दुर्घटना राहत निधि का गठन एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

(24)–परिवहन विकास परिषद का गठन एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

(25)–उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाकार समिति का गठन एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

(26)–चारधाम यात्रा सम्बन्धी कार्य।

(27)–Zero Road Accident सम्बन्धी कार्य।

(28)–पर्वतीय मार्गो पर तत्काल सहायता के रुप में केन व एम्बुलेन्स की आपूर्ति।

(29)–वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की प्रतिस्थापना सम्बन्धी कार्य।

(30)–चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

(31)–जनपदों में परिवहन विभाग के कार्यालयों हेतु भूमि क्रय/निर्माण।

(32)–राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन एवं नियुक्ति सम्बन्धी कार्य।

(33)–राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन सम्बन्धी कार्य।

(34)–दुर्घटना में मृतक आश्रितों एवं घायलों को सहायता सम्बन्धी कार्य।

(35)–वाहनों की निष्प्रयोज्यता, गतिसीमा निर्धारण,प्रदूषण संयत्रों की आपूर्ति एवं चैकपोस्टों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य।

(36)–परिवहन विभाग एवं निगम में आई0टी0 गतिविधियों का समावेशन सम्बन्धी कार्य।

(37)–विभिन्न समीतियों, संस्थाओं व तीर्थयात्रियों के वाहनों को करों में छूट प्रदान किये जाने संबंधी कार्य।

(38)– सूचना का अधिकार अधिनियम, 205 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

IX. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–(2)

राज्य परिवहन निगम सम्बन्धी निम्न कार्यः–

1– संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से संबंधित समस्त कार्य।

2– अनुभाग में व्यवहृत अन्य कार्य

3– लोकायुक्त से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।

4– न्याय एवं विधि सम्बन्धी कार्य।

5– परिवहन निगम के अन्य राज्यों से समझौते से सम्बन्धित कार्य।

6– अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त वोल्वो बसों का संचालन सम्बन्धी कार्य।

7– अर्न्तराज्यीय बस अड्डों (I.S.B.T.) का निर्माण व बसों का संचालन सम्बन्धी कार्य।

8– उत्तरांचल परिवहन निगम का संरचनात्मक ढॉचा एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली का प्रख्

9– परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी शासन को संदर्भित/ प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।

नागरिक उड्डयन सम्बन्धी निम्न कार्य:–

(1) उत्तर प्रदेश राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग समूह 'ख' व 'ग' सेवानियमावली–1992

(2) नागरिक उड्डयन निदेशालय का समस्त अधिष्ठान, बजट तथा प्लान संबंधी कार्य।

(3) विशिष्ट व्यक्तियों की उडान सम्बन्धी कार्य ।

(4) विमानों के अनुरक्षण एवं रख–रखाव सम्बन्धी अभिलेखीय कार्य।

(5) निर्माता फार्मों से स्पेयर पार्ट्स क्रय करने की समस्त औपचारिकता सम्बन्धी एवं अभिलेखीय कार्य।

(6) विमानों के लिए ए0टी0एफ0 के क्रय पर होने वाली व्यवस्था जैसे कारनेट/वाउचर्स/वैरल ए0टी0एफ0 का विभिन्न जनपदों/स्थानों में वितरण आदि से सम्बन्धित औपचारिकताऐं एवं अभिलेखीय कार्य।

(7) नागरिक उड्डयन निदेशालय,उत्तरांचल की सेवा नियमावली बनाने एवं प्रख्यापित करने का कार्य

(8) विभिन्न वायुयानों आपरेटर सस्थाओं/विभागों आदि से प्रदेश में वायुयान सेवाओं के परिचालन आदि के लिए राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली पहल को दृष्टिगत रखते हुए तत्सम्बन्धी कार्य।

(9) राज्य में स्थित हवाई अड्डो के उच्चीकरण तथा उनमें अतिरिक्त सुविधाओं के विकास हेतु भारती विमान पत्तन प्राधिकरण से राज्य सरकार की ओर से समन्वय की कार्यवाही।

(10) राज्य के स्वामित्व में स्थित हवाई पटिट्यों /हैलीपैड्स के निर्माण आदि की कार्यवाही का समन्वय।

(11) राज्य के पायलटों/इंजीनियरिंग स्टाफ/तकनीकी स्टाफ के लिए उनके राज्य/राज्य के बाहर की यात्राओं के सम्बन्ध में होने वाले व्यय (आवास/भोजन/परिवहन) तथा अन्य भत्तों आदि के लिए राज्य की अलग नियमावाली अथवा दरों बनाने एवं स्वीकृतियां निर्गत करने का कार्य।

(12) विमानों के एयरोमोबाईल लाईसेन्स तथा अन्य लाइसेंन्स के नवीनीकरण तथा डी0जी0सी0 ए0 भारत सरकार से सम्बन्धित अन्य कार्यवाहियों का समन्वय।

(13) विमानों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्य।

(14) वायु सेवाओं के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग तथा मण्डलीय निगमों एवं वायुसेवा आपरेटर कम्पनियों एवं ट्रैवल ट्रेड से सम्बन्धित व्यवसाइयों के साथ सम्न्वय की कार्यवाही।

(15) कापरेटिव फलाइंग क्लबों/प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा उडान अकादमी की स्थापना आदि की कार्यवाही।

(16) हवाई/अड्डों हवाई पट्टियों/हैलीपैड्स को कियाशील करने की कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य।

(17) विशिष्ट व्यक्तियों की निर्बाध उडानों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एअरफोर्स के विभिन्न हवाई अड्डों/हैलीपैड्स की सुविधाऐं प्राप्त करने हेतु सम्न्वय की कार्यवाही।

(18) विदेशों से आयतित पुर्जों/उपकरणों के लिए कस्टम हाउस एजेन्ट्स की नियुक्ति तथा सामग्री को छुडाकर स्टोर में उपलब्ध करवाने की कार्यवाही।

(19) विमानों के अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत समय–समय पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाना

(20) विमानों के पुर्जो/उपकरणों को विदेशी फर्मों से कय करने पर उनको भुगतान करने हेतु एल0सी0 खाता खुलवाने तथा विनियम दरों के अनुसार लेखा नियन्त्रण की कार्यवाही।

(21) विशिष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्राओं के सुचारू संचालन के मध्येनजर अन्तर्विभागीय समस्त कार्यवाहियां।

(22) राज्य पुर्नगठन सम्बन्धी कार्य।

(23) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धी कार्य।

X. वन एवं पर्यावरण अनुभाग–(1)

केन्द्रीय अधिनियम:

1. अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951.

केन्द्रीय नियमावलियां:

2. अखिल भास्तीय सेवाएं (मेडिकल अटैन्डेस) नियमावली, 1954.
3. अखिल भारतीय सेवाएं (कम्पेन्सैटरी एलावैंसेज़) नियमावली, 1954
4. अखिल भारतीय सेवाएं (ट्रावैलिंग एलावैंसेज) नियमावली, 1954[ए]
5. अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1955.
6. अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियमावली, 1955.
7. अखिल भारतीय सेवाएं (विशेष निःशक्तता) विनियम, 1957.
8. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958.
9. अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि पारिवारिक पेन्शन निधि में जमा व भुगतान) नियमावली, 1958.
10. अखिल भारतीय सेवाएं (पेन्शन) विनियम, 1959.
11. अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन अवकाश) विनियम, 1960.
12. अखिल भारतीय सेवाएं (कन्डीशन्स ऑफ सर्विस–रैजिड्वरी मैटर्स) नियमावली, 1960.
13. भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966.
14. भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966.
15. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966.
16. भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966.
17. भारतीय वन सेवा (इनीशियल रिक्रूटमैंट) विनियम, 1966.
18. भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती) विनियम, 1966.
19. भारतीय वन सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1968.

20. भारतीय वन सेवा (परीवीक्षार्थी की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1968.
21. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968.
22. अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968.
23. अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969.
24. अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय प्रविष्टयां) नियमावली, 1970.
25. अखिल भारतीय सेवाएं (संयुक्त संवर्ग) नियमावली, 1972.
26. अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियमावली, 1972.
27. अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश यात्रा कन्सेशन) नियमावली, 1975.
28. अखिल भारतीय सेवाएं (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977.
29. अखिल भारतीय सेवाएं (गृह निर्माण अग्रिम) नियमावली, 1978.
30. अखिल भारतीय सेवाएं (समूह बीमा) नियमावली, 1981.
31. भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1997.
32. कार्मिक अधिष्ठाान सम्बन्धी समस्त विनियम जो उपरोक्त में न आये हो.

राज्य अधिनियमः

33. उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 (अनुकूलित)

राज्य नियमावलियांः

34. वन विभाग लिपिक सेवा नियमावली, 1981.
35. मानचित्रकार सेवा नियमावली, 1981.
36. ड्राईवर सेवा नियमावली, 1981.
37. उ0प्र0 वन सेवा नियमावली, 1993.
38. उत्तरांचल अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2002 (अनुकूलित)
39. उत्तरांचल अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2002 (अनुकूलित)
40. उत्तरांचल वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2002 (अनुकूलित)

41. उत्तरांचल वन विभाग, समूह 'घ' के पदों पर दैनिक पर दैनिक वेतन नियुक्तियों विनियमितिकरण नियमावली, 2003
42. वन विभाग/वन निगम के कार्मिक अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य सभी विनियम.
43. भारतीय वन सेवा व राज्य वन सेवा के अधिकारियों व वन विभाग/वन निगम के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित अधिष्ठान संबंधी कार्य.
44. वन विभाग/वन निगम के समस्त सेवा नियमावलियों को बनाने तथा उनमें संशोधन. (नियमावलियों का वर्णन ऊपर क्रम संख्या 2 से 32 तथा 34 से 41 पर किया गया है)
45. राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
46. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के कियान्वयन सम्बन्धी कार्य एतदसम्बन्धी प्रकरणों में अन्य अनुभागों के साथ समन्वय करना.
47. वन विभाग, उत्तरांचल वन विकास निगम के क्षेत्रगत व ढांचागत पुनगर्ठन सम्बन्धी कार्य.
48. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग का सेवाओं में आरक्षण.
49. वन विभाग के अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन.
50. अस्थाई पदों की निरन्तरता तथा स्थायीकरण के मामले.
51. उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित सम कार्य, न्यायिक वाद, लोकायुक्त प्रकरण, महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन व आ आपत्तियां आदि.

X. वन एवं पर्यावरण अनुभाग–(2)

केन्द्रीय अधिनियम:

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927
2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
3. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002

केन्द्रीय नियमावलियां:

4. भारतीय वन नीति, 1988

5. भारतीय वन्य जीव कार्ययोजना, 2002–2016.

6. केन्द्रीय प्राधिकृत समिति अधिसूचना 2002.

राज्य अधिनियम (जो अनुकूलित नहीं है):

7. नीजि वन अधिनियम, 1948.

8. लीसा अधिनियम, 1976.

राज्य अधिनियम (अनुकूलित):

9. भारतीय वन अधिनियम, (उत्तरांचल संशोधन), 2001.

10. उत्तरांचल (उ0प्र0 ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

11. उत्तरांचल (भारतीय वन (उ0प्र0 संशोधन) विनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

राज्य नियमावलियां:

12 रक्षित वन नियमावली, 1960.

13. अभिवहन नियमावली, 1978.

14. चिडियाघरों की मान्यता नियमावली, 1992.

15. उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2001.

16. उत्तरांचल संयुक्त वन प्रबन्ध नियमावली, 2001

17. उत्तरांचल राज्य वन नीति, 2001.

18. आरामशीन नियमावली, 2002 (अनुकूलित)

19. नीजि वन नियमावली, 2002 (अनुकूलित)

20. उत्तरांचल वन्य जीव (संरक्षण) नियमावली, 2002 (अनुकूलित)

21. बजट सम्बन्धी कार्य.

22. वित्तीय स्वीकृतियां, व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव.

23. आयोजनगत तथा आयोजनेत्तर व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य, पंचवर्षीय योजना का निरूपण व सेचालन सम्बन्धी कार्य.

24. केन्द्र पोषित व राज्य वित्त पोषित वनिकी योजनाओं का निरूपण, संचालन तथा अनुश्र संम्बन्धी विश्व बैक पोषित योजनाओं व अन्य वाह्य सहायता से वित्त पोषण हेतु प्रोजेक्टो प्रेषण, कियान्वयन, अनुश्रवण, स्वीकृति के सभी मामले.

25. ऊपर कम संख्या 1 से 21 पर अंकित अधिनियमों के प्रख्यापन/कियान्वयन तथा यथाशि संशोधन की कार्यवाही.

26. भारतीय तथा राज्य वन्य जीव परामर्शदात्री परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषद, वन प्रबन्ध परिषद, उपयोग परामर्शदात्री परिषद, केन्द्रीय वानिकी परिषद, नेशनल लैण्डयूज तथा वैस्टलै काउन्सिल, नेशनल वेसटलैण्ड डेवलेपमेन्ट बोर्ड तथा नेशनल लैण्ड यूज डेवलेपमेन्ट बोर्ड सम्बन्धित कार्य.

27. डी.एफ.डी.ए. स्पेशल कम्पानेन्ट प्लान/जनजाति योजना, 20 सूत्रीय कार्यकम, भूमि संरक्षण योजनायें, ग्रामीण क्षेत्रों में ईधन प्रजातियों का वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य. स्टेट लैण्ड डेवलपमेन बोर्ड तथा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति से संबंधी का वेस्टलैण्ड पर वनीकरण, विकेन्द्रीय पौधालय, ट्री पटटी योजना, वनीकरण में संस्थागत वित्त योगदान तथा जनता/विभागों/संस्थओं को इन्वोल्व करना.

28. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम तथा नियमावली तथा वन्य जीव संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण संबंधित समस्त कार्यकलाप.

29. भूमि संरक्षण व दैवी आपदा राहत से सम्बन्धित कार्य.

30. वन उपज, कोमल काष्ठ, रेता–बजरी के पातन/अभिवहन व मछली के ठेके से संबंधित मामले से संबंधित कार्य.

31. निजी भूमि से वन भूमि का विनियम व वन भूमि का अधिग्रहण/अतिकमण/वनों की सुरक्षा संबंधी मामले एंव टौगिया भमि से संबंधित कार्य.

32. वन विश्राम गृहों व वन सडकों के संरक्षण तथा उपयोग, रेलवे के किनारों पर वृक्षारोप्ड, चराई की सुविधा आदि.

33. कार्य योजना.

34. वन आधारित राजस्व वृद्धि निवत्ययता के उपाय से संबंधी समस्त कार्य व सरकारी धन के गबन के मामलों में कार्यवाही.

35. केन्द्रीय प्रधिकृत समिति, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरीग कमेटी तथा रिट याचिका संख्या–202/95 गोडाबर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ से जनित कार्य.

36. उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य, न्यायिक वाद, लोकायुक्त प्रकरण, महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन व आछिट आपत्तियां आदि.

37. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य.

X. वन एवं पर्यावरण अनुभाग (3)

केन्द्रीय अधिनियम

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिभार अधिनियम, 1977.
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.
6. राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002.

केन्द्रीय नियमावलियां

7. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1975.
8. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिभार नियमावली, 1978.
9. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1982.
10. पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986.
11. खतरनाक कूडा (प्रबन्ध व हस्तालन) विनियम, 1989.
12. खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, रख–रखाव तथा आयात विनियम, 1989.

13. पुनः चकिय प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग निमावली,1999.

14. पुनः चकित प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग (संशोधन) नियमावली, 2002:

राज्य अधिनियम/मैनुअल

15. फॉरेस्ट मैनुअल

16. उ0प्र0 प्लास्टिक पुनर्चकित कूडा–कचरा निस्तारण अधिनियम, 2000.

राज्य नियमावलियां

17. उ0प्र0 जल (मल और व्यवसायिक बहिस्राब निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981.

18. उ0प्र0 वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1983.

19. पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी अन्य समस्त अधिनियम/विनियम.

20. वन एवं ग्राम्य विकास शाखा का आन्तरिक अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य.

21. पर्यावरण संरक्षण एवं विकास सम्बन्धी का कार्य.

22. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रा बोर्ड के आय–व्यय, संगठन व पर्यावरण संरक्षण एवं प्र नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न कार्य एवं नीति विषय, प्रशासनिक व अधिष्ठान संबंधी मामले.

23. उत्तरांचल वन विकास निगम के वन उपज का पातन/विदोहन/निस्तारण संबंधी माम बिकी कर, आय कर आदि के मामले.

24. उत्तरांचल बायोफ्यूल बोर्ड, उत्तरांचल बांस एंव रेशा विकास बोर्ड तथा उत्तरांचल चिकित्सालय ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं नीति, नियमों, संबंधी मामले.

25. वन विभाग से संबंधित पर्यटन विकास परिषद की संस्तुतियों तथा ईको–टूरिज्म सम्बन्धी माम

26. राष्ट्रीय जैव विविधता नीति संबंधी कार्य.

27. जडी–बूटियों के संरक्षण/संवर्द्धन व विकास के संबंध में नीति निर्धारण एवं कियान्वय प्रकाष्ठ वन उपज जैसे झूला धास, कत्था, भाभड धास, गोंद, शहद से सम्बन्धित कार्य.

28. जल संरक्षण एवं जल सम्भरण से सम्बन्धित समस्त कार्य.

29. वन संरक्षकों के मासिक सम्मेलन व नोडल वन संरक्षकों के समन्वय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस प्रगति.

30. वन प्रकाशन एवं प्रख्यापन.

31. वन बन्दोबस्त का कार्य व दावों (शरणार्थियों व विस्थापितों सम्बन्धी) का सत्यापन.

32. उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य, न्यायिक वाद, लोकायुक्त प्रकरण, महालेखा नियंत्रण एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन व आडिट आपत्तियां आदि.

33. विभाग/अनुभागों के मध्य आन्तरिक समन्वय से सम्बन्धित कार्य.

34. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य.

वन एवं पर्यावरण (वन भूमि हस्तान्तरण प्रकोष्ठ)

केन्द्रीय अधिनियम

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980.

केन्द्रीय नियमावलियां

2. वन (संरक्षण) नियमावली, 1981.

3. विकास कार्यो हेतु वन भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना, सम्बन्धित सेवा विभागों से समन्वय कर अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही करना एवं विज्ञप्तियां जारी करना.

4. विनिकी/गैर बानिकी कार्यो हेतु वन भूमि को लीज पर दिये जने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण तथा कियान्वयन, लीज प्रस्तावों का परीक्षण एवं कार्यवाही.

5. वन भूमि के हस्तांतरण/लीज के सम्बन्ध में शासन व विभागीय अधिकारियों को आवश्यक परामर्श देना.

6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्यकमों/ योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण करना/CAMPA से सम्बन्धित समस्त कार्य.

7. उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य न्यायिक वाद, लोकायुक्त प्रकरण, महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन व आडिट आपत्तियां आदि.

XI. ग्राम्य विकास एवं जलागम प्रबन्धन अनुभाग

(1) ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्न सेवा नियमावलियां से सम्बन्धित कार्यः–

(I) ग्राम विकास अधिकारी (म0) सेवा नियमावली–1978

(II) सहायक विकास अधिकारी(म0) सेवा नियमावली–1978

(III) चालक सेवा नियमावली–1979

(IV) ग्राम्य विकास अधिकारी(पु0) सेवा नियमावली–1980

(V) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली–1980

(VI) उ0प्र0 ग्राम्य विकास राजपत्रित सेवा नियमावली/उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली,1991

(VII) सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) सेवा नियमावली–1991

(VIII) लेखा परीक्षक सेवा नियमावली–1991

(IX) संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी सेवा नियमावली–1992

2. ग्राम्य विकास विभाग के श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्धित समस्त कार्य।

3. राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा नियमावली से सम्बन्धित कार्य।

4. वित्तीय तथा प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित कार्य।

5. राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों संघों को मान्यता तथा उनकी मॉगे से सम्बन्धित कार्य।

6. अधिकारियों का विशिष्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

7. अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व शिकायतों से सम्बन्धी कार्य।

8. वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्य ।
9. लोक लेखा समिति/समीक्षा/प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य ।
10. विकास खण्डों के भवनों का निर्माण सम्बन्धी कार्य।
11. नये विकास खण्डों का सृजन तथा विकास खण्डों का पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
12. विभागीय योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(एस0जी0एस0वाई0)एवं विशेष परियोजनायें,आईफैड (IFAD),राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सम्बन्धी कार्य।
13. बायोगैस सम्बन्धी कार्य ।
14. प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञ स्तर के अधिकारियों की सेवा नियमावली ।
15. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित कार्य ।
16. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अधिष्ठान कार्य ।
17. सुखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम(डी0पी0ए0पी0) से सम्बन्धित कार्य ।
18. मंत्रीपरिषद के निर्णयों का कियान्वयन ।
19. लोक सभा/राज्य सभा /विधान सभा प्रश्नों विधान सभा की विभिन्न समितियों जिसमें आश्वासन समिति /प्रांक्कलन समिति/लोक लेखा समिति तथा अन्य समितियों से सम्बन्धित कार्य ।
20. मा0 मुख्यमंत्री जी/मंत्री/सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही ।
21. नोडल विभाग विधायक निधि सम्बन्धी कार्य ।
22. सांसद निधि का राज्य स्तरीय समन्वय एवं पर्यवेक्षण ।
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विभाग से सम्बन्धित कार्य ।
24. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
25. समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों के शासन स्तर पर प्राप्त अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों का कार्य।

दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत /
मकान निर्माण।

26. समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों के शासन स्तर पर प्राप्त अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य।

XII. पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग–(1)

1–पंचायतीराज निदेशालय के श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' के अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्ध समस्त कार्य।

2–पंचायतीराज निदेशालय के समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की अपील,प्रत्यावेदन इत्यादि तथा अधिष्ठान सम्बन्धी नीति बिषयक मामलें ।

3–पंचायतीराज विभाग के श्रेणी 'क' श्रेणी 'ख' श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमवली सम्बन्धी कार्य।

4–पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों के संघो से सम्बन्धित कार्य ।

5–पंचायतीराज संस्थाओं के कृत्यों एवं दायित्वों का हस्तांतरण(विकेन्द्रीकरण)

6–उत्तरांचल पंचायतीराज अधिनियम तथा नियमावली सम्बन्धी कार्य ।

7–ग्राम पंचायतों का गठन ।

8–पंचायतराज संस्थाओं के सर्वेक्षण व नामांकन विषयक कार्य ।

9–ग्राम पंचायतों के प्रधान/उप प्रधान तथा सदस्यों के विरूद्व शिकायत व निदेश याचिका सम्बन्धी कार्य।

10–ग्राम पंचायतों /निदेशालय की सम्परीक्षा आपत्ति/लोक लेखा समिति आदि के मामलों से सम्बन्धित कार्य।

11–पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

12–ग्राम/न्याय पंचायत निधि बिषयक कार्य ।

13–पंचायत उघोग सम्बन्धी कार्य ।

14–संसद/विधान सभा प्रश्न, सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य ।

15–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 तथा नियमावली एवं मैनुअल सम्बन्धी कार्य ।

16–जिला पंचायतों के केन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य ।

17–जिला पंचायतों के अकेन्द्रीय संवर्ग/कर्मचारियों के अधिष्ठान बिषयक कार्य

18–जिला पंचायत कर्मचारियों के संघों से सम्बन्धी कार्य ।

19–जिला पंचायतों के लिए वाहन व्यवस्था तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से सम्बन्धित मामलें पर कार्यवाही।

20–क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों/उप प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों/उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के विरूद्व शिकायतों तथा निदेश याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य ।

21–जिला पंचायतों में अनियमितताओं तथा विशेष संम्परीक्षा सम्बन्धी कार्य ।

22–जिला पंचायत में करारोपण तथा तद्बिषयक मामलों पर कार्यवाही।

23–जिला पंचायतों की सम्पत्ति तथा संशोधनों से सम्बन्धी कार्य ।

24–जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों के सम्परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन/लोक लेखा समिति आदि से सम्बन्धित के मामलों पर कार्यवाही।

25–जिला पंचायतों के अनुश्रवण कोष्ठक सम्बन्धी कार्य ।

26–वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं सम्बन्धी समस्त कार्य ।

27–पंचायत राज विभाग के आय–व्ययक सम्बन्धी कार्य।

28–उत्तरांचल राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य ।

29–निदेशक,पंचायतीराज (लेखा) तथा जिला पंचायतों, के अराजपत्रित कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य ।

30–समस्त योजनाओं की भौतिक /वित्तीय प्रगति से सम्बन्धी कार्य ।

31–पंचायतराज विभाग के लोक लेखा समिति /सम्परीक्षा प्रतिवेदन/दुविनियोग तथा हानियों से सम्बन्धी कार्य।

32–श्री राज्यपाल /मा0मुख्यमंत्री जी/मा0मंत्री जी/मुख्य सचिव तथा अन्य महत्वपर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही सम्बन्धी कार्य।

33– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।

34– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धी कार्य।

XII. पचांयतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–(2)

1– ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों (समूह "क" एवं समूह"ख") के स्थापना /अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य ।

2– ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों (समूह"क" एवं समूह"ख") के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच/अनुशासनिक जांच/सतर्कता जांच/प्रशासनाधिकरण एवं अन्य प्रकार की जांचों से समम्बन्धित समस्त कार्य।

3– विभागीय कार्यो से संबंधित समस्त बाद।

4– संसद विधान सभा प्रश्नों एवं विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

5– समूह "क", समूह "ख" एवं अपर अभियन्ताओं की सेवा नियमावलीयों से सम्बन्धित कार्य।

6– अधिष्ठान सम्बन्धी बजट का कार्य ।

7– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के भवन किराये सम्बन्धी कार्य ।

8– सांसद स्थानीय विकास निधि से संबंधित समस्त कार्य ।

9– डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की मॉगों से संबंधित कार्य ।

10– आडिट पैरा/ पी0एस0सी0 पैरा से संबंधित कार्य।

11– राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

12– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

13– श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धित शासन को सन्दर्भित/प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण।

XIII. कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग – (1)

1. यू0पी0 एग्रीकल्चर डिसीज एण्ड पेस्ट एक्ट, 1954 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)

2. उ0प्र0 कृषि रोग एवं कीट अधिनियम, 1954 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)

3. उ0प्र0 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
4. यू0पी0 एग्रीकल्चरल केडिट एक्ट, 1973 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
5. यू0पी0 कसारी ग्राम (प्रोहिविसन) एक्ट, 1983(उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
6. एग्रीकल्चरल मैनुअल (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
7. समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।
8. उ0प्र0 लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
9. उ0प्र0 कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
10. उ0प्र0 कृषि समूह "घ" सेवा नियमावली, 1984 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
11. उ0प्र0 कृषि समूह "क" पद सेवा नियमावली, 1992 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
12. उ0प्र0 कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमवाली, 1992 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
13. उ0प्र0 कृषि विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 1993 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
14. उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
15. उ0प्र0 कृषि समूह "ख" पद सेवा नियमावली, 1995 (उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
16. उ0प्र0 कृषि विभाग मानचित्रकार (ड्राइंग) सेवा नियमावली, 2000(उत्तरांचल, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
17. बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।
18. वित्तीय स्वीकृतियों एवं व्यय की नई मदें तथा अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।

19. आयोजनागत व्यय से सम्बन्धित समस्त कार्य।
20. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
21. भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
22. राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य।
23. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
24. दैवीय आपदाओं से सम्बन्धित कार्य।
25. 20 सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य।
26. कृषि विभाग से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं विषयक कार्य।
27. नाबार्ड से सम्बन्धित समस्त कार्य।
28. श्री राज्यपाल के अभिभाषण /बजट भाषण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
29. कृषि विभाग से सम्बन्धित विविध कार्य।

XIII कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–(2)

1. उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम (यू0पी0एग्री0 प्रोड्यूस मार्केट) एक्ट 1964 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली (यू0पी0एग्री0 प्रोड्यूस मार्केट) रूल्स, 1964 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
5. जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, मण्डी परिषद् एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिष्ठान से सम्बन्धित समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6. उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1984 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)

7. उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी/कर्मचारी, अधिष्ठन) नियमावली, 1984 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002)
8. बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।
9. वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं व्यय की नई मदें तथा अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।
10. आयोजनागत व्यय से सम्बन्धित समस्त कार्य।
11. संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
12. भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
13. राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य।
14. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
15. श्री राज्यपाल के अभिभाषण /बजट भाषण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
16. जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम लि0, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तरांचल कृषि उत्पाद ो परिषद् से सम्बन्धित विविध कार्य।

XIV. सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग–(1)

1. उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 एवं उत्तरांचल स्वायत्त सहकारी अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित कार्य।
2. उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली, 2004 से सम्बन्धित कार्य।
3. श्रेणी "क", "ख", "ग" एवं "घ"से सम्बन्धित अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू निम्नलिखित सेवानियमावलियों तथा मैनुवल से सम्बन्धित कार्य।
   (1) उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली, 1969
   (2) उत्तरांचल सहकारी अधिनस्थ सेवा नियमावली,2003
   (3) उत्तरांचल सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली
5. विभाग के समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित सेवा संघों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6. अधिकारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु नांमाकन सम्बन्धी कार्य.
7. वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन।

8. वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्य।
9. विभाग का बजट सम्बन्धी कार्य।
10. वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नयी मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त कार्य।
11. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।
12. सहकारी न्यायाधिकरण से सम्बन्धी समस्त कार्य।
13. संसद एवं विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
14. भारत के महालेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।
15. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धी समस्त कार्य.
16. राज्य स्तरीय सहकारी संघों, जिला सहकारी संघों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डारों तथा उससे सम्बन्धित संस्थाओं में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का नामांकन तथा उनसे सम्बन्धित कार्य।
17. निबन्धक एवं उसके अधिनस्थ कार्यालयों/सहकारी समितियों के वित्तीय अनियमिताओं से सम्बन्धित जॉच आदि से सम्बन्धित कार्य।
18. सहकारी संस्थाओं/समितियों के निरीक्षण तथा सम्प्रेक्षण रिपोर्ट का परिपालन करवाने सम्बन्धी कार्य।
19. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली की सहायता से पोषित एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं (आई0सी0डी0पी0) का निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य.
20. उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ देहरादून से सम्बन्धित अधिष्ठान एंव बजट नियंत्रण सम्बन्धी कार्य।
21. उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक एवं उससे सम्बद्ध जिला सहकारी बैंकों से सम्बन्धित अधिष्ठान एवं बजट नियंत्रण सम्बन्धी कार्य।
22. सहकारी विभाग के अन्तर्गत कैडर ड ारिटी से सम्बन्धित मामले।
23. कृषि सहकारी ऋण व्यवस्था तथा योज ग से सम्बन्धित कार्य।
24. नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों/निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन.
25. सहकारी प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित कार्य।
26. सहकारी संस्थाओं/समितियों को राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से सम्बन्धित कार्य।

27. "सहकारी सहभागिता योजना" एवं "नारायण कृषक कवच योजना" का कियान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य।
28. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
29. अन्य विभागों से समन्वय सम्बन्धी कार्य।
30. विभागीय बैठकों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

XIV. सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग– (2)

1. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में लागू अधिनियम/नियमावली:–

(क) उत्तरांचल (उ0प्र0 गन्ना खरीद एवं पूर्ति विनियमन अधिनियम,1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(ख) उत्तरांचल (उ0प्र0) गन्ना क्रयकर अधिनियम,1961 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

(ग) उत्तरांचल (उ0प्र0 गन्ना खरीद एवं पूर्ति विनियमन नियमावली,1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(घ) उत्तरांचल (उ0प्र0 गन्ना क्रयकर नियमावली,1961) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(ड) उत्तरांचल (उ0प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश,1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(च) उत्तरांचल (उ0प्र0 गन्ना खरीद एवं प्रतिबन्ध आदेश, 1966) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(छ) उत्तरांचल (उ0प्र0 खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाईसेन्स देने की आज्ञा,1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

(ज) उत्तरांचल (उ0प्र0 वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री लाईसेन्सिग ओदश,1969) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

2. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग से सम्बन्धित निम्न सेवा नियमावलियॉ:–

(क) उ0प्र0 सहकारी गन्ना सेवा सर्विस रेगुलेशन,1975

(ख) उ0प्र0 गन्ना विकास विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली,1978

(ग) उ0प्र0 अधीनस्थ गन्ना (सांख्यिकीय) सेवा नियमावली,1979

(घ) उ0प्र0 अधीनस्थ गन्ना (समूह 1 व 2) सेवा नियमावली,1979

(ड) उ0प्र0 गन्ना पर्यवेक्षक (समूह 3) सेवा नियमावली,1979

(च) उ0प्र0 चीनी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली,1980

(छ) उ0प्र0 चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली,1981

(ज) उ0प्र0 चीनी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली,1984

3. श्रेणी "क", "ख", "ग" एवं "घ" के अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
4. विभाग के समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित सेवा संघों से संबंधित समस्त कार्य।
5. अधिकारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु नामांकन कार्य।
6. वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन।
7. वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्य।
8. वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं व्यय की नई मदे एवं अनुपूरक अनुदानों संबंधी समस्त कार्य।
9. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर बजट संबंधी समस्त कार्य।
10. गन्ना विकास सलाहकार समिति से संबंधित समस्त कार्य।
11. संसद एवं विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा विधान सभा की समितियों से संबंधित सम्
कार्य।
12. भारत के महालेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धित समस्त कार्य।
13. विभाग से सम्बन्धित राज्य पुनर्गठन कार्य।
14. राज्य स्तरीय सहकारी गन्ना संघ, जिला गन्ना संघों, गन्ना समितियॉ तथा उत्तरांच
कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन तथा उससे संबंधित संस्थाओं में राज्य सरकार
प्रतिनिधियों का नामांकन एवं उससे संबंधित कार्य।
15. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल कोआपरेटिव शुगर फैक्
फैडरेशन व सहकारी गन्ना समितियों के वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जॉच आदि
संबंधित कार्य।
16. सहकारी गन्ना समितियॉ/संस्थाओं के निरीक्षण तथा सम्प्रेषण रिपोर्ट परिपालन करवाने
संबंधित समस्त कार्य।
17. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से सहायतित/पोषित सहकारी गन्
समितियों/चीनी मिल समितियों को ऋण/पर्यवेक्षण कार्य।
18. उत्तरांचल सहकारी गन्ना समितियां, उत्तरांचल कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फैडरेशन
उससे संबंधित समस्त चीनी मिलों से संबंधित अधिष्ठान संबंधी कार्य।
19. गन्ना एवं चीनी सहकारी संस्थाओं को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता संबंधित कार्य।
20. विभागीय बैठकों से संबंधित कार्य।
21. गन्ना मूल्य निर्धारण, सुरक्षण आदेश के विरूद्ध अपील आदि से संबंधित कार्य।
22. गन्ना विकास परिषद/गन्ना समितियॉ/गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र सं
समस्त कार्य।
23. भारत सरकार शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से संबंधित समस्त कार्य।
24. चीनी मिलों में वाई प्रोडेक्ट पर आधारित उद्योगों की स्थापना संबंधी कार्य।
25. अन्य विभागों से समंवय संबंधित कार्य।

26. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित कार्य।

XV. पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास अनुभाग–(1)

1– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम,1955) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गोशला निवारण अधिनियम,1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

3– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गोशला निवारण नियमावली,1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

4– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम,1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

5– उत्तर प्रदेश पशुपालन सांख्यकीय सेवा नियमावली, 1981

6– उत्तर प्रदेश पशुलानल विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981

7– उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, (श्रेणी–1) 1982

8– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पशुपालन (फामसी) सेवा नियमावली, 1993

9– उत्तर प्रदेश पशुपालन प्रसार एवं प्रचार सेवा नियमावली, 1993

10– उत्तर प्रदेश पशुपालन विपणन सेवा नियमावली, 1993

11– उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग डाईवर सेवा नियमावली, 1993

12– उत्तर प्रदेश पशुपालन (फामसी) राजपत्रित सेवा नियमावली, 1994

13– समूह–क,ख,ग एवं घ के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य।

14– बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।

15– वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदें तथा अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।

16– आयोजनागत व्यय से सम्बन्धित समस्त कार्य।

17– विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों से सम्बन्धित कार्य।

18– लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

19– भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

20– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।

21– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

22– बीस सूत्रीय कार्यकम से सम्बन्धित कार्य।

23– संस्थागत वित्त पोषित योजनायें।

24– नाबार्ड से सम्बन्धित समस्त कार्य।

25– श्री राज्यपाल के अभिभाषण/बजट भाषण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

26– पशुपालन सम्बन्धी भौतिक कार्यो की मानिटरिंग का कार्य।

27– पशुपालन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य।

28– पशुगणना से सम्बन्धित समस्त कार्य।

29– लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही।

30– विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं से सम्बन्धित कार्य।

31– हानियां/बट्टा सम्बन्धी कार्य तथा पुनः आहरण।

32– पशुपालन विभाग के अर्न्तगत कार्यरत बोर्डो का कार्य।

33– सांख्यिकीय सेल सम्बन्धी कार्य।

34– विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावलियों से सम्बन्धित कार्य।

35– विभागाध्यक्षों का बनाया जाना एवं उनका सूची में संशोधन।

36– स्टडीटूर, प्रशिक्षण संमीनार जिनमें वित्तीय व्यय निहित है, आदि में भाग लेने विषयक स्वीकृति।

XV. पशुपालन मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास अनुभाग–(2)

दुग्ध विकास

1– विभिन्न सेवा संवर्गों की सेवा नियमावलियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

– समूह– क,ख,ग एवं घ के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य।

3– बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।

4– वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदें तथा अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त कार्य।

5– उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद/प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन की योजनाओं तथा अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

6– दुग्धशाल विकास विभाग के नियंत्रणधीन समस्त राजकीय डेरीयों तथा दुग्ध संघों से सम्बन्धित कार्य।

7– प्रदेश में चल रहे महत्वकाक्षी दुग्ध विकास कार्यकम से सम्बन्धित समस्त कार्य।

8– दुग्ध अधिनियम/दुग्ध नियंत्रण आदेश से सम्बन्धित समस्त कार्य।

9– लोक लेखा समिति तथा लेखा संप्रेक्षा आख्याओं से सम्बधित समस्त कार्य।

10– भूमि, भवन हस्तान्तरण।

11– पी0ए0सी0 के प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य।

12– हानियां/बट्टा सम्बन्धी कार्य तथा पुनः आहरण।

13– आयोजनागत व्यय से सम्बन्धित समस्त कार्य।

14– विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों से सम्बन्धित कार्य।

15– लोक सभा/राज्य सभा विधान सभा प्रश्नों तथा विधान सभा से सम्बन्धित विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं एवं उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

16– भारत के महालेखा नियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

17– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य।

18– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

19– बीस सूत्रीय कार्यकम से सम्बन्धित समस्त कार्य।

20– संस्थागत वित्त पोषित योजनायों।

21– नाबार्ड से सम्बन्धित समस्त कार्य।

22– श्री राज्यपाल के अभिभाषण/बजट भाषण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

मत्स्य विभाग

1– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ मत्स्य सेवा नियमावली, 1994

2– उत्तर प्रदेया मत्स्य विभाग, अधीननस्थ सांख्यिकी सेवा नियमावली, 1992

3– उत्तर प्रदेया मत्स्य विभाग, मोटर ड्राइवर सेवा नियमावली 1992

4– उत्तर प्रदेया मत्स्य लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1992

5– उत्तर प्रदेया मत्स्य विभाग, समूह 'घ' (प्रविधिक) सेवा नियमावली 1982

6– उत्तर प्रदेया मत्स्य (राजपत्रित) सेवा नियमावली 1993

7– समूह–क,ख,ग एवं ध के कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य।

8– बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।

9– वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदें तथा अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।

10– राजपत्रित तथा तकनीकी कर्मचारियों की सेवा नियमावली।

11– लोक सभा/राज्य सभा व विधान सभा प्रश्नों एवं विधान सभा से विभिन्न नियमों के अन्त
प्राप्त सूचनाओं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

12– सेवा सम्बन्धी वाद से सम्बन्सित कार्य।

13– प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य।

14– मत्स्य विभाग का बजट (प्लान तथा नानप्लॉन) सबन्धित कार्य।

15– मत्स्य बीज विकास निगम से सम्बन्धित कार्य।

16– आयोजनागत योजनाओं की स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्य।

17– श्रेणी–1 के जलाशयों के नीलीमी से सम्बन्धित समस्त कार्य।

18– मत्स्य तथा पशुधन बोर्ड की बैठक की कार्यवाही।

19– पशुपालन तथा मत्स्य स्थायी समिति की बैठक की संस्तुतियां संबन्धी कार्य।

20– बीस सूत्रीय कार्यकम सम्बन्धी कार्य।

21– ड्राफ्ट पैरा/आडिट पैराज/आडिट आपत्तियों सम्बन्धी समस्त कार्य।

22– उ0प्र0 पशुधन उद्योग (सी0डी0एफ0) अलीगढ से सम्बन्धित कार्य।

23– कार्यालय भवनों के किराये का निर्धारण से सम्बन्धित कार्य।

24– विभागाध्यक्षों कों अधिकारों का प्रतिनिधायन।

25– मत्स्य विभाग के लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमावली से सम्बन्धित कार्य।

26– मत्स्य विभाग, उत्तरांचल मत्स्य विकास निगम तथा मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के विकास कार्यो की समीक्षा सम्बन्धी कार्य।

27– मा0 मुख्यंत्री जी/मुख्य सचिव/आयूक्त वन एवं ग्राम्य विकास एवं अपर मुख्य सचिव, से प्राप्त संदर्भो का निस्तारण।

28– भूमि, भवन हस्तान्तरण।

29– पी0ए0सी0 का प्रतिवेदन।

30– हानियां/बट्ट सम्बन्धी कार्य तथा पुनः आहरण।

31– आयोजनागत व्यय से सम्बन्धित समस्त कार्य।

32– विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों से सम्बन्धित कार्य।

33– राज्य पुर्नगठन सम्बन्धी कार्य।

34– सूचना का अधिकारा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XVI. उद्यान एवं रेशम अनुभाग–(1)

1– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज, विनियमन(लाइसेन्स देना) नियमावली– 1976 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002.

2– उत्तरांचल (उ0 प्र0 फल पौधशाला विनियमन नियमावली 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002)

3– उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज,विनियमन अधिनियम–1976)अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002.

4– उत्तरांचल(उ0प्र0 फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण(हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन अधिनियम 1985)अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश2002

5– उ0प्र0 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह–क सेवा नियमावली 1991

6– उ0प्र0 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह–ख सेवा नियमावली 1993

7– उ0प्र0 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ सेवा नियमावली 1993

8– अधीनस्थ विभागों के राजपत्रित/अराजपत्रित/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

9– प्रशासकीय विभाग के नियंत्रणाधीन उद्यान,रेशम,चाय विकास बोर्ड तथा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर के वार्षिक आय–व्ययक प्रस्ताव का वित्त/नियोजन विभाग के प्रस्तुतिकरण।

10– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना एवं व्यय की नयी मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव यथा समय वित्त विभाग को भेजा जाय।

11– आयोजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।

12– संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

13– भारत के महा लेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य

14– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।

15– प्रदर्शनी/मेला गोष्ठी सम्बन्धी समस्त कार्य।

16– बीस सूत्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य।

17– श्रेणी–1,श्रेणी–2 के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के समयमान वेतनमान चरित्र पंजिकायें अद्यावधिक किये जाने तथा वर्क एण्ड बर्थ रिपोर्ट सम्बन्धी कार्य

18– श्री राज्यपाल को भेजी जाने वाली सूचनायें।

19– रिट याचिकाओं/नोटिसों/अपीलों के सम्बन्ध में समस्त न्यायालीय कार्य।

20– योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य।

21– राजकीय देयों की वसूली का कार्य।

22– श्री राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट भाषण से सम्बन्धित कार्य।

23– वित्त आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।

24– राज्य योजना आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।

25– मंत्री परिषद के निर्णयों का समन्वय कार्य।

26– अधीनस्थ विभागों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य।

27– लोक सेवा आयोग उत्तरांचल को भेजी जाने वाली सूचनायें।

28- अधीनस्थ विभागों के विभिन्न कर्मचारी संघों की मान्यता तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मांगो पर कार्यवाही सम्बन्धी समस्त कार्य।

29- विभाग में किराए पर लिये गये भवनों के किराए सम्बन्धी विवादों का निस्तारण तथा भवन किराया स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

30- मा0 मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगणों/सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण एवं अनुश्रवण का कार्य।

32- दैवी आपदाओं सूखा ओला वृष्टि से फसल की हुई क्षति सम्बन्धी कार्य।

33- विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन।

34- अधीनस्थ विभागों से सम्बन्धित वित्तीय हानियों को नियमानुसार बट्टे खाते में डालने सम्बन्धी कार्य।

35- विभिन्न संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को अग्रसारित किया जाना।

36- राज्य में नवीन शीतगृहों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।

37- प्रदेश के 27 राजकीय उद्यानों को आदर्श उद्यान के रूप में विकसित किया जाना।

38- विभाग के 77 राजकीय उद्यानों को निजी संस्थाओं को लीज पर दिये जाने सम्बन्धी कार्य।

39- खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार का उच्चीकरण तथा विभागीय नियंत्रणाधीन स्थापित फल संरक्षण केन्द्रों के उन्नयन/उच्चीकरण से सम्बन्धित कार्य।

40- विभिन्न कार्यो को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया जाना एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना का जारी किया जाना व क्षेत्रों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कार्यवाही।

41- विभागीय नियंत्रणाधीन भूमि/भवनों को शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त कार्य।

42- वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन,अनुश्रवण व प्रस्तुतीकरण का कार्य।

43- खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित समस्त कार्य स्टेट नोडल एजेन्सी से सम्बन्धित प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार को भेजा जाना।

44- एकीकृत बागवानी विकास समिति उत्तरांचल तथा हार्टिकल्चर टैक्नोलोजी मिशन से सम्बन्धित पत्र व्यवहार /समीक्षा एवं अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।

45- सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रोंसे सम्बन्धित कार्य।

46– समन्वय से सम्बन्धित समस्त कार्य।

47– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

XVI. उद्यान एवं रेशम अनुभाग–(2)

1– उ0प्र0 रेशम लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1993..

2– उ0प्र0 रेशम समूह–घ सेवा नियमावली 1993.

3– उ0प्र0 रेशम उत्पादन अधीनस्थ(प्राविधिक) सेवा नियमावली 1996.

4– रेशम विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

5– उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड,अल्मोड़ा, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान,चमोली तथा कृ निर्यात विकास इकाई,देहरादून से सम्बन्धित समस्त कार्य।

6– प्रशासकीय विभाग के नियंत्रणाधीन रेशम,चाय विकास बोर्ड, जड़ी बूटी शोध एवं विका संस्थान गोपेश्वर,चमोली तथा कृषि निर्यात विकास इकाई देहरादून के वार्षिक आय–व्यय प्रस्ताव को उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 के माध्यम से वित्त/नियोजन विभाग प्रस्तुतिकरण।

7– उपरोक्त विभाग/बोर्ड/संस्थान/इकाई से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कि जाना एवं व्यय की नई मदें एवं अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव यथासमय वि विभाग को भेजा जाना।

8– आयोजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।

9– संसद एवं विधान सभा तथा उनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

10– भारत के महा लेखानियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य।

11– राज्य पुर्नगठन सम्बन्धी समस्त कार्य।

12– अधीनस्थ विभागों से सम्बन्धित प्रदर्शनी/मेला गोष्ठी का कार्य

13– बीस सूत्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य।

14– रेशम विभाग के श्रेणी–1,श्रेणी–2 के अधिकारियों/कर्मचारियों के समयमान वेतनमान व पंजिकायें अद्यावधिक किये जाने तथा वर्क एण्ड बर्थ रिपोर्ट सम्बन्धी कार्य।

15– श्री राज्यपाल को भेजी जाने वाली सूचनायें।

16– रिट याचिकाओं/नोटिसों/अपीलों के सम्बन्ध में समस्त न्यायालीय कार्य।

17- योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य।
18- राजकीय देयों की वसूली का कार्य।
19- श्री राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट भाषण से सम्बन्धित कार्य।
20- वित्त आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
21- राज्य योजना आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
22- मंत्री परिषद के निर्णयों का समन्वय कार्य।
23- विभागीय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य।
24- कर्मचारी संघों की मान्यता तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों पर कार्यवाही सम्बन्धी समस्त कार्य।
25- लोक सेवा आयोग उत्तरांचल को भेजी जाने वाली सूचनायें।
26- विभाग में किराए पर लिये गये भवनों के किराए सम्बन्धी विवादों का निस्तारण तथा भवन किराया स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।
27- मा0 मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगणों/सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण एवं अनुश्रवण का कार्य।
28- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से उत्तरांचल में विभिन्न रेशम परियोजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी पत्र व्यवहार।
29- ओक टसर परियोजना का क्रियान्वयन।
30- उत्तरांचल रेशम फैडरेशन की स्थापना व तत्सम्बन्धी पत्र व्यवहार।
31- दैवी आपदाओं सूखा ओला वृष्टि से फसल की हुई क्षति सम्बन्धी कार्य।
32- विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन।
33- अधीनस्थ विभागों से सम्बन्धित वित्तीय हानियों को नियमानुसार बटटे खाते में डालने सम्बन्धी कार्य।
34- विभिन्न संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को अग्रसारित किया जाना।
35- रेशम विभाग के नियंत्रणाधीन भूमि/भवनों को शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त कार्य।

36– उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड तथा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर(चमोली) की प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठकें,समन्वय,अनुश्रवण एवं नियोजन से सम्बन्धित कार्य।

37– उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड की अवस्थापना प्रन्बन्ध कारिणी समिति की बैठकें समीक्षा आदि कार्य।

38– वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन,अनुश्रवण व प्रस्तुतीकरण का कार्य।

39– लीची,बासमती,जड़ी बूटी एक्सपोर्ट जोन से सम्बन्धित समस्त कार्य कृषि निर्यात विकास इकाई के माध्यम से संचालित कराया जाना।

40– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त अवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

41– समन्वय से सम्बन्धित समस्त कार्य।

42– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

XVII. समाज कल्याण अनुभाग–(1)

(1) 1. अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955,

(2) 1. अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995,

2. नागरिक अधिकार नियम, 1995,

(3) 1. समाज कल्याण निदेशालय एवं उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों का अधिष्ठान।

2. उत्तरांचल बहुद्देशी वित्त एवं विकास नियम का अधिष्ठान।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का अधिष्ठान।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित अन्य समितियों/बोर्ड आदि के अधिष्ठान व सेवा सम्बन्धी कार्य।

5. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ से सम्बन्धी अधिष्ठान।

6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अधिष्ठान।

(4) 1. उत्तरांचल (उ0प्र0 हरिजन व समाज कल्याण विभाग लिपिक वर्गों सेवा नियमावली 1991.)

2. उत्तरांचल (उ0प्र0 हरिजन व समाज कल्याण अधिकारी सेवा नियमावली 1991.)
3. उत्तरांचल (उ0प्र0 जनजाति विकास शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1991.)
4. उत्तराचल (उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1997)
5. उत्तरांचल (उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग ग्राम्य विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 1997.)
6. उत्तरांचल (उ0प्र0 जनजाति विकास प्राविधिक कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2000.)

(5) बजट सम्बन्धी कार्य।
(6) वित्तीय स्वीकृतयां एवं व्यय की नई मदों व अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।
(7) आयोनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।
(8) संसद व विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं तथा उनकी समितियों से सम्बन्धी समस्त कार्य।
(9) कम्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कर्य।
(10) राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।
(11) अुनसूचित जाति/जनजाति कल्याण सम्बन्धी समस्त कार्य।
(12) लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्भ सम्बन्धी कार्य।
(13) बी.आइ.पी. सन्दर्भ (मा. प्रधानमंत्री, मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव आदि प्रकरण) से सम्बन्धित कार्य।
(14) न्यायिक एवं विधिक प्रकरण।
(15) मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों से सम्बन्धित कार्य।
(16) माननीय मुख्यमंत्री जी की धोषणाओं से सम्बन्धित कार्य।
(17) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XVII. समाज कल्याण अनुभाग–(2)

1– 1. अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956
2. विकलांगजन (समान अवसर, पूर्ण सहभागिता एंव अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1995.

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000.
4. प्राबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958.
5. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975) अनुकूलन उपान्तरण आदेश, 2002।
6. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति से सम्बन्धित कार्य।

2– उत्तरांचल किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2002

3– बजट सम्बन्धी समस्त कार्य।

4– वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की नई मदों व अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव।

5– आयोजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य।

6– संसद व विधान सभा प्रश्नों, विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं विधान सभा समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

7– भारत के महालेखनियंत्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन संबंधी समस्त कार्य।

8– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य।

9– महिला कल्याण/विकलांग कल्याण/वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण संबंधी समस्त कार्य।

10– समाज कल्याण की समस्त अपरिभाषित मदों से संबंधित कार्य।

11– लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्भ से सम्बन्धित कार्य।

12– वी.आई.पी. सन्दर्भों (महामहिम राष्ट्रपति, मा. प्रधाननंत्री, मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदि) संदर्भ से सम्बन्धित कार्य।

13– अधिष्ठान से इतर समस्त न्यायिक एवं विधिक प्रकरण।

14– मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामले से सम्बन्धित कार्य।

15– मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित कार्य।

16– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XVII. समाज कल्याण अनुभाग–3

1– उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002

2– मुस्लिम एजुकेशन मिशन

पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन समिति

3– उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास नियम

4– मदरसों आधुनीकिकरण

5– उत्तरांचल पिछडा वर्ग आयोग

6– अन्य पिछडा वर्ग आयोग

7– सैनिक कल्याण नियमावली

8– बजट सम्बन्धित समस्त कार्य

9– वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की गई नई व अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव

10– ओयाजनागत व्यय सम्बन्धी समस्त कार्य

11– संसद व विधान सभा प्रश्न तथा इनकी समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य

12– भातर के महालेखा नियन्त्रक एवं सम्परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्त कार्य

13– राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी समस्त कार्य

14– समाज कल्याण की समस्त अपरिभाषित मदों से समबन्धी कार्य

15– लोकायुक्त से प्राप्त संदर्भ का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।

16– वी.आई.पी. संदर्भों (महामहिम राष्ट्रपति, मा0 प्रधान मंत्री, महामहिम राज्यपाल, मा0 मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव आदि संदर्भ) का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।

17– अधिष्ठान से इतर समस्त विधिक न्यायिक प्रकरण

18– मा0 मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामले

19– अनुभाग में व्यवहृत होने वाले कार्यो के बारे में मा. मुख्यमंत्री जी की धोषणा से संबंधित समस्त कार्य।

20– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

23– समाज कल्याण आयुक्त शाखा का समन्वय कार्य एवं शाखा से संबंधित विभागीय योजनाओं की सूचना प्रतिमाह श्री राज्यपाल महोदय को उपलब्ध कराना।

24–

XVII. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग

1. समन्वित बाल विकास सेवा निदेशालय के अधीन राजपत्रित अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
3. विभाग के लम्बित संदर्भो का अनुश्रवण एवं समन्वय।
4. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ–गठन, बैठकों का आयोजन एवं निर्णयों का अनुपालन।
5. विभागीय प्राथमिकताओं का निर्धारण।
6. बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय का समस्त कार्य एंव सेपा नियमावलियां।
7. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का समन्वय संबंधी कार्य।
8. पुष्टाहार सेक्टर का आय–व्ययक संबंधी समस्त कार्य एवं आडिट आपत्तियों से सम्बन्धित कार्य।
9. महिला एवं बाल विकास विभाग के प्लान–बजट एवं आडिट आपत्तियो का समन्वय कार्य।
10. श्री राज्यपाल के अभिभाषण तथा मा0 वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की सामाग्री तैयार करने व उनके अनुश्रवण का कार्य।
11. 15 सूत्री, तथा 20 सूत्री कार्यक्रमों का समन्वय कार्य।
12. सचिव समिति/कोर ग्रुप से सम्बन्धित कार्य।
13. शासकीय सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी कार्य।
14. मासिक/त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकों से सम्बन्धित कार्य।
15. मुख्य सचिव की स्ट्रक्चर्ड बैठकों से सम्बन्धित कार्य।
16. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
17. राष्ट्रीय बाल कोष/निधि से सहायता।
18. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल योजना/बाल नीति एवं पोषाहार नीति की संरचना एवं तत्संबंधी कार्य योजना।
19. बाल श्रम उन्मूलन सहयोग से सम्बन्धित कार्य।
20. किशोरी शक्ति योजना।
21. विभागीय स्थायी समिति से सम्बन्धित कार्य।

महिला उत्पीडन की रोकथाम के उपाय।

22 बालिका समृद्धि योजना।

23. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता।

24. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कियान्वयन।

25. बाल विवाह अवरोध अधिनियम का कियान्वयन।

26. विवाह, गोद/संरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

27 राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग से सम्बन्धित कार्य।

28. अल्पावास गृह एवं कामकाजी महिला आवास योजना।

29. स्वशक्ति, स्वयं सिध्दा एवं स्वाधार योजनायें।

30. राज्य महिला नीतिं।

31. राष्ट्रीय महिला कोष से संबंधित समस्त कार्य।

32. बाल दिवस, महिला दिवस एवं मानवाधिकार दिवस के आयोजन।

33. उत्तरांचल बाल निधि का कियान्वयन।

34. स्टेट एवं नौराड आदि केन्द्रीय योजनायें।

35. संसद/विधान सभा प्रश्नों, विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

36. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

37. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

38. उमाड बालिका बोर्ड से सम्बन्धित कार्य
39- कार्य का.सं. 40-41/xxx-1(1)/2010 दि० 7/9/2010

VIII. राजस्व एवं भू–प्रबन्धन अनुभाग–(1)

1– जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–3(2) के अन्तर्गत ग्रम आन्तरिक क्षेत्रों का विलयन।

2– राजस्व ग्रामों के सृजन तथा उनके नाम परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य।

3– मण्डल, जिला तथा तहसील कार्यालयों से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान कार्य।

4– मण्डल, जिला तथा तहसील से सम्बन्धित प्रशासन का बजट कार्य।

5– मण्डल, जिला, तहसील स्तर हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाना।

6– मण्डल, जिल तथा तहसील के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमावलि से सम्बन्धित कार्य।

7– तहसीलों, परगनों तथा जिलों का सृजन तथा पुनर्गठन।

8– अन्तरप्रान्ती, अन्तरजिला, तहसीलों, ग्रामों से सम्बन्धित सीमा विवाद एवं भारत–नैपाल सीमा सम्बन्धी कार्य।

9– राजस्व भवनों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत एवं रख रखाव।

10– तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो–इन्सपेक्टर, सदर कानूनगो, सुपरवाइजर कानूनगो रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, लेखपाल, पटवारी/सहायक पटवारी (पहाडी), पटवारी (जोनसार भाबर क्षेत्र) तथा पहाडी जिलों के पेशकारों का अधिष्ठान समबन्धी कार्य, सेवा नियमावलियों, का निर्माण उनमें संशोधन, उपरोक्त संवर्गो के कार्मिक प्रतिवेदन, शिकायतों, स्थानान्तरण, पदों का सृजन आदि से सम्बन्धित कार्य।

11– मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय का अधिष्ठान, सेवा नियमावलियां, पदों का सृजन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।

12– जोतबही की छपाई, वितरण, तत्सम्बन्धी शिकायतों, कृषि गणना से सम्बन्धित कार्य।

13– जिला भूमि अध्याप्ति का अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

14– चकबन्दी अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।

15– सर्वेक्षण एवं अभिलेख इकाई का अधिष्ठान कार्य।

16– उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विधान सभा प्रश्नों, विभिन्न नियमों, के अन्तर्गत प्राप्त सूचना तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

17– मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं, लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्भों का निस्तारण।

18– रिट याचिकाओं एवं न्यायिक तथा विधिक कार्य।

19– महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण हेतु सामाग्री तैयार करना।

20– राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

21– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XVIII. राजस्व एवं भू–प्रबध अनुभाग–(2)

1– उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 संशोधन अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित कार्य।

2– उत्तरांचल में अनुकूलित एवं उपान्तरित निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन, उनके अधीन बनी नियमावलियों की व्याख्या, उनमें संशोधन से सम्बन्धित कार्यः–

क– यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901

ख– उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

ग– उ0प्र0 नगर क्षेत्र जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956

घ– जौनसार भावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956

ड– कुमॉयू तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960

च– उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960

3– जमींदारी विनाश के फलस्वरूप राज्य में निहित हुई सम्पत्तियों के प्रबन्ध हेतु गांव सीमाओ तथा स्थानीय निकायों मे निहितन।

4– गांव सभा तथा स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियों का पुनर्ग्रहण।

5– गांव सभा में निहित भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों से सम्बन्धित सामान्य नीति का निर्धारण,उन पर नियंत्रण।

6– गांव सभा भूमि का वितरण तथा अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने से सम्बन्धित प्रगति विवरण।

7– गांव सभा भूमि के आवंटन/पट्टा, भूमि की दुर्व्यवस्था, अतिकमण, सम्पत्तियों के दुरूपयोग तथा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक शिकायतों से सम्बन्धित कार्य।

8– उपनिवेशन योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य।

9– कलक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबन्ध।

10– शत्रु एवं निष्क्रान्त सम्पत्ति का कार्य।

11– उ0प्र0 लैण्ड रैवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890

12– उ0प्र0 सरकार देयों की वसूली अधिनियम,1960

13– भू–राजस्व का संग्रहण एवं वसूली, संग्रह अधिष्ठान विषय समस्त कार्य।

14– जमींदारी विनाश अधिकोष।

15– भू–राजस्व, अभ्यर्पण तथा छूट सम्बन्धी कार्य।

16– जोत चकबन्दी योजना, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी योजना, भूमि सुधार परिषद से सम्बन्धित समस्त कार्य।

17– लैण्ड रिकार्डस स्थापना से सम्बन्धित, आवेदन, प्रत्यावेदन, शिकायत, रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य।

18– कैम्पंग ग्राउण्ड–रूद्रपुर, किच्छा की भूमि का स्थानान्तरण।

19– खातेदारों के बीच निजी भूमि सम्बन्धी विवाद, मुकदमें, रिट याचिकायें, खेतों की हतबन्दी, दाखिल खारिज सम्बन्धी कार्य।

20– लैण्ड रिकार्डस मैनुअल।

21– लैण्ड कार्डस रेवेन्यू ऐक्ट तथा भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों के अन्तर्गत मुकदमों का कार्य।

22– अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बन्दोबस्त।

23– सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत घोषित भूमि के आवंटन की मागों, सुझावों तथा शिकायतों से सम्बन्धित कार्य।

24– लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट, 1894 का प्रशासन, संशोधन तथा अधिकारों का प्रतिनिधायन, मुकदमों आदि से सम्बन्धित कार्य।

25– रिक्यूजीशन एण्ड एक्यूजीशन आफ इम्मूवेबिल प्रापर्टी एक्ट, 1952 तथा नियम 1953 का संचालन।

26– सवेक्षण एवं अभिलेख कियाएं तथा भू–राजस्व बन्दोबस्त।

27– उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विधान सभा प्रश्नों, विभिन्न निमयों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों, तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

28– रिट याचिकाओं, राजस्व वादों से समबन्धित समस्त कार्य।

29– मा. मुख्यमंत्री की धोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्भों से सम्बन्धित कार्य।

30– राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

31– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XVIII. आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005

1- राज्य सरकार के कृत्य एवं शक्तियां का उपयोग।

2- राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त के कार्य एवं शक्तियां का उपयोग।

3- आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण एवं कृत्य एवं शक्तियां।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य एवं शकितयों का उपयोग।

5- आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के कार्य।

6- मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के कृत्य एवं शक्तियों का उपयोग।

बजट-

1. आपदा राहत कोष से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित मदों में धनावंटन।
2. अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों से दैवी आपदा प्रभावितों में तत्काल राहत वितरण।
3. दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्य।
4. राहत सहायता एवं विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु आवंटन धनराशि की व्यय की जांच एवं समाधान
5. ऋण एवं अग्रिम (गैर खेतीहरों को ऋण तथा तकावी)

3. अहेतुक सहायता, सब्सिडी एवं तकावी के लेखों के संबन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
4. जिलों के तकावी लेखा के संम्बन्ध में लेखा परीक्षा आपत्तियां।
5. वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही।
6. प्राकृतिक आपदा, प्रमाणित व्यक्तियों को सहायता देने के संबन्ध में प्रार्थना पत्र व शिकायतें।
7. जिला दैवी आपदा सहायता निधि से संबन्धित मासिक व्यय आख्याएं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
8. जिला बाढ़ नियंत्रण एवं जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना।
9. गबन।
10. सरकारी खर्चे में मितव्ययिता।

11. दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य।
12. मोटर वोट एवं नावों से संबन्धित समसत कार्य।
13. अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में मोटर गाडियों की व्यवस्था।
14. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सामग्री की वितरण तथा रियायती दरों पर बीज का विक्रय।
15. प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफी एवं स्थगन।
16. दैवी आपदा से प्रभावितों हेतु अस्थायी आवासीय व्यवस्था, खाद्यान्न व्यवस्था तथा कपड़ा एवं चिकित्सा व्यवस्था।
17. वायरलेस– (1) उपकरणों की खरीददारी (2) स्टाक का प्रबन्ध (3) विभिन्न जिलों में बाढ के समय वायरलेस की स्थापना।
18. केन्दीय सहायता के लिये विभिन्न विभागों के संकलित मेमोरण्डम का भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना। केन्द्रय अध्ययन दल को प्रदेश भ्रमण कराना, केन्द्रीय सहायता की वित्तीय/भौतिक उपलब्धियों का संकलन कर भारत सरकार को प्रस्तुतीकरण।
19. दैवी आपदाओं (आग को छोडकर) तथा अग्नि दुर्घटनाओं एवं अग्निकांडों से हुई क्षति का वार्षिक विवरण।
20. संसद/विधान सभा प्रश्न एवं आश्वासन तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही।
21. शीतलहरी तथा पाला।
22. फसल तथा मौसम की सूचना।
23. सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना।
24. सूखाग्रस्त एवं बाढ क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाऐं।
25. उत्तराचल में–
    1. बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदाओं की वार्षिक समीक्षा।
    2. दैवी आपदा से क्षति एवं क्षति की दैनिक सूचना।
    3. दैवी आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु सामन्य निर्देश।
    4. आंकडों का संग्रह।

26. आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में चारा आपूर्ति की व्यवस्था तथा आरक्षित वन खण्डों को जानवरों की मुफ्त चराई हेतु उपलब्ध करना।
27. अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति की सूचनाए तथा तदविषयक सामान्य निर्देश।
28. दैवी आपदा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के लिये वन सम्पदा जैसे बाल, बल्ली, फूस आदि की रियायती दर पर या मुफ्त आपूर्ति।
29. मौसम तथा कृषि की दशा से संबन्धित पाक्षिक अर्द्ध शासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन।
30. ओला तथा आंधी तूफान से क्षति।
31. विद्युतपात से संबंन्धित दुर्ध्टनाओं के आकडों का तिमाही संकलन तथा तदविषयक सामान्य निर्देश।
32. अतिवृष्टि, भूकम्प, बादल फटना एवं भूस्खलन से क्षति।
33. बाढ तथा अन्य दैवी आपदाओं के समय सहायतार्थ सैनिक सहायता।
34. वर्षा के सांख्यिकीय आंकडे तथा सूचनाएं।
35. विधान सभा में राजस्व मंत्री जी द्वारा दिये जाने वाले वक्तब्य।
36. कृषि विपदाओं से संबन्धित सूचनाएं।
37. राजस्व शासन रिपोर्ट तथा सामान्य प्रशासन रिपोर्ट।
38. तकावी नियमावली की व्याख्या, संशोधन तथा पुनरीक्षण।
39. जलोत्सारण समस्या से संबन्धित विविध मामलें।
40. फसलों तथा फलों एवं फल वृक्षों के संक्रामक रोग, कृषि विभाग तथा प्रसारित किये जाने वाले पाक्षिक विवरण।
41. दैवी आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वासन।
42. मुखमरी रिपोर्ट की जांच।
43. खोज एवं बचाव कार्यो हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
44. उपकरणों की उपलब्धता।
45. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा आंकडों का संग्रह एस.आई. प्रणाली के अंतर्गत डाटा वेस तैयार करना, मानचित्रों को तैयार किया जाना, जागरूकता, प्रचार, प्रसार आपदा प्रशिक्षण कार्य, आपदा प्रबन्धन योजना वनाया जाना इत्यादि।

46. आपदा प्रबन्धन से संवन्धित वाह्य सहायतित योजना का कियान्वयन एवं संचालन।

47. विभिन्न आपदायें–

1. जल एवं जलवायु संबन्धी आपदायें।
2. भूगर्भ संबन्धी आपदायें।
3. रासायनिक संबन्धी आपदायें।
4. रासायनिक औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें।
5. दुर्घटना संबन्धी आपदायें।
6. जैविकीय आपदायें।

48. राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी प्रकरण।

49. सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धी प्रकरण।

XIX. खादय एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग:–(1)

1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के (आपूर्ति/लेखा शाखा) के श्रेणी 'क–' तथा श्रेणी 'ख के अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।
2. आपूर्ति शाखाा वरिष्ठ निरीक्षक/पूर्ति निरीक्षक, प्रधान लिपिक, आशुलिपिक/ज्येष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अधिष्ठान एवं अधिष्ठान से संबंधित शासन को प्राप्त/सन्दर्भित मामलें।
3. बाट तथा माप (विधिक माप विज्ञान विभाग) के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा तत्सम्बन्धी अपीलें।
4. खाद्य आयुक्त कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों से शासन को प्राप्त/संदर्भित मामलें का कार्य।
5. खाद्य विभाग का बजट सम्बन्धी कार्य, (जिसमें लेखाशीर्षक 4408, 2408, 3456 तथा 34 की स्वीकृति एंव प्राविधान तथा सत्यापन संबंधी कार्य भी सम्मीलित है)।
6. कैश केडिट लिमिट (सी0सी0एल0 सवंधी कार्य)/निष्प्रयोज्य वस्तुओं का सत्यापन सम्बन्ध कार्य।

7. बोरों की खरीददारी, बिकी का निर्धारण, स्टोरेज संबंधी सामग्रियों की खरीद एवं रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।

8. एफ0सी0आई0, पी0सी0एफ0, एस0डब्लू0सी0/सी0डब्लू0सी0 से संबधित मामलों का कार्य।

9. मण्डलीय समितियों संबंधी कार्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों से सम्बन्धित कार्य।

10. शहरी/ग्रमीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्लें की दुकानों को खोलना, उनका निरीक्षण तथा आवंटन तथा जिलाधिकारियों/जिला पूर्ति अधिकारियों के आदेशों के विरूद्व प्राप्त प्रत्यावदेनों एवं राशन कार्डो इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

11. सस्ते गल्ले की दुकानों के संबंध में खाद्यान्न वितरण संबंधी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजने का कार्य।

12. भारत सरकार से मिट्टी तेल आवंटन प्राप्त कर जिलों को मिट्टी का तेल, डीजल अन्य पेट्रोल उत्पाद की पूर्ति सम्बन्धी कार्य।

13. मिट्टी के तेल का जिलों को कोटा निर्धारण, मिट्टी तेल के लाइसेंस धारियों की अपीलों से सम्बन्धित कार्य।

14. हाई स्पीड डीजल तेल और लाइट डीजल तेल उपयोग/निबन्धन सम्बन्धित कार्य।

15. राज्य कार्यालय की निरीक्षण आख्यायें, वित्त नियत्रंक, क्षेत्रीय लेखाधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों की निरीक्षण आख्यायें तथा आयुक्त, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा उप संम्भागीय विपणन अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण आख्याओं से संबंधित मामलों से सम्बन्धित कार्य।

16. लोक लेखा समिति तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट एवं सम्परीक्षा आपत्तियों से सम्बन्धी कार्य।

17. मंत्रीमंण्डलों की उपसमितियोंएवं उसके निर्णयों के कियान्वयन का कार्य।

18. लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों /आश्वासनों/विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

19. राज्य पुर्नगठन से सम्बन्धित कार्य।

20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XIX. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–(2)

1 विपणन (हाट–शाखा) श्रेणी 'क' श्रेणी 'ख' तथा श्रेणी 'घ' के अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।

2 क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रको की बैठक से सम्बन्धित कार्य।

3 चावल/धान खरीद तथा गेहूं एवं अन्य रबी खाद्यान्न/मोटे अनाज का प्रोक्योरमैन्ट तथा तत्संबंधी विधायी और लिटिगेशन सम्बन्धी कार्य।

4 समस्त खाद्यान्नों का एलाटमेन्ट संबंधी कार्य। (गेंहू/चावल मोटा अनाज/चना दाले आदि) खाद्यान्नों का स्टाक रख–रखाव तथा उसका सत्यापन सम्बन्धित कार्य।

5 राइस मिलिंग इण्डस्ट्री एक्ट संबंधी कार्य। धान तथा अन्य बीजों और बीज अधिनियम संबंधी कार्य।

6 राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण/जिला उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्षों/सदस्यो की नियुक्ति तथा अन्य अधिष्ठान संबंधी कार्य ।

7 कार्यालयों के भवनों का किराया स्वीकृति तथा उनसे संबंधित मुकदमों का कार्य।

8 आवश्यक वस्तु वितरण/आयतित गेहूं के ट्राजिट लाइसेंस से संबंधित कार्य। उत्तरांचल आवश्यक वस्तु अधिनियम।

9 विधायकों एवं सासदों के पत्रों का निस्तारण संबंधी कार्य ।

10 सचिव समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

11 खाद्यान्नों के संचरण तथा एक्सपोर्ट सम्बन्धी समस्त कार्य तथा खाद्यान्नों का निस्तारण अनाजों की अन्तरराज्यीय तस्करी की रोकथाम तथा चैक पोस्टों का कार्य ।

12 खाद्यान्नों की समस्त प्रकार की हानियों से सम्बन्धित कार्य ।

13 मा0 मुख्यमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली आख्याओं से सम्बन्धित कार्य।

14 समन्वय एवं विविध कार्य ।

स सेल प्रकोष्ठ से सम्बन्धित ऑकडे रखने का कार्य। भूमि अध्याप्ति और गोदामों का निर्माण।

16 संचरण निदेशक के परामर्श से ब्लैक कोल तथा साफ्ट कोल की स्पोंसरिंग तथा कोल एजेन्टों का नामांकन ।

17 कोल, ईट, भट्टो तथा तिलहनों के लाइसेन्स सम्बन्धी कार्य ।

18 नगरों में स्थापित उड़न दस्तों के प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों से आवश्यक सूचना मांगने और उनकी समीक्षा का कार्य तथा राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय से सम्बन्धित समस्त कार्य व सूचनाऐं

19 सीमेन्ट, चीनी, खण्डसारी, शक्कर तथा गुड़ का वितरण एवं उससे सम्बन्धित नियंत्रक चीनी आवंटन/आपूर्ति कार्य ।

20 पुराने रेण्ट कन्ट्रोल एक्ट/नमक एवं वनस्पति के नियंत्रण तथा वितरण सम्बन्धी कार्य, वनस्पति डीलर्स लाईसेंस आर्डर सम्बन्धित कार्य ।

21 मंत्रि मंण्डल की बैठकों से सम्बन्धित कार्य।

22 संसद/विधान सभा प्रश्नों, विभिन्न नियमोंके अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों से सम्बन्धित कार्य।

23 राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।

24 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XX. गृह अनुभाग–(1)

1. पुलिस राजपत्रित अधिष्ठान
2. पुलिस बजट
3. पुलिस आधुनिकीकरण तथा निर्माण कार्य
4. पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण
5. गृह विभाग का वित्तीय समन्वय कार्य
6. पुलिस पदक व साहसिक पुरस्कार।

7. पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण।
8. मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का समन्वय कार्य।
9. गृह विभाग की आन्तरिक व्यवस्था संबंधी कार्य
10. सी0बी0आई जॉच सम्बन्धी मामले
11. गृह विभाग का विविध कार्य
12. इनर लाईन तथा माउंटेनियरिंग आदि की अनुमति
13. अभिसूचना संकलन
14. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
16. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों सें सम्बन्धित कार्य।

XX. गृह अनुभाग–(2)

1. मजिस्ट्रेट अधिकार
2. आर्म्स ऐक्ट एवं रूल्स से सम्बन्धित कार्य।
3. शैडो/गनर सम्बन्धी मामले
4. पुलिस संचार का समस्त कार्य(बजट छोड़कर)
5. विधि विज्ञान प्रयोगशाला का समस्त कार्य(बजट छोड़कर)
6. गृह विभाग का विधायी समन्वय कार्य
7. आतंकवादी गतिविधियॉ
8. सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न मामले
9. भारत–नेपाल तथा भारत–तिब्बत सीमा सम्बन्धी समस्त मामले
10. विभिन्न चुनावों ,मेलों तथा पर्वों पर सुरक्षा।
11. टेलीफोन लिस्निंग
12. निवारक नजरबन्दी तथा प्रतिबन्धित संगठन
13. विभिन्न प्रयोजनों हेतु पुलिस बल की तैनाती।
14. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

16. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों सें सम्बन्धित कार्य।

XX गृह अनुभाग–(3)

1. पुलिस अराजपत्रित अधिष्ठान
2. सी0आई0डी0 जॉच तथा उसके फलस्वरुप कार्यवाही
3. विभिन्न न्यायालयों का गठन
4. गृह विभाग का पुनर्गठन समन्वय कार्य
5. कानून एवं शांति व्यवस्था
6. विभिन्न मुकदमों की वापसी
7. पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में भर्ती हेतु नीति निर्धारण।
8. भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्त मामले
9. समाचार पत्रों की विभिन्न कटिंग्स पर कार्यवाही
10. राज्य पुनर्गठन से सम्बेन्धित कार्य।
11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
12. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों सें सम्बन्धित कार्य।

XX गृह अनुभाग–(4)

1. कारागार विभाग का समस्त कार्य
2. उत्तरांखण्ड आन्दोलन
3. मानवाधिकार
4. फायर सर्विस का समस्त कार्य(बजट छोड़कर)
5. चरित्र सत्यापन
6. गृह विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागों के कार्मिकों संबंधी समस्त समन्वय कार्य
7. बहुउद्येशीय पहचान पत्र योजना
8. गृह विभाग का रिट सम्बन्धी समन्वय कार्य
9. सूचना के जनाधिकार अधिनियम सम्बन्धी समस्त कार्य

10. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
11. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों सें सम्बन्धित कार्य।

XX गृह अनुभाग–(5)

1. होमगार्डस्/नागरिक सुरक्षा का समस्त कार्य
2. अभियोजन विभाग का समस्त कार्य
3. राजनैतिक पेंशन
4. अर्द्धसैनिकों/सैनिकों के विभिन्न प्रकरण
5. राष्ट्रीय एकता/साम्प्रदायिक सद्भाव
6. गृह विभाग का लोक सभा/राज्य सभा प्रश्नों का समन्वय कार्य
7. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

XX गृह अनुभाग–(6)

1. वीजा, पासपोर्ट, नागरिकता एवं विदेशी राष्ट्रिकों के मामले
2. विभिन्न प्रकार के आन्दोलन/दंगों के प्रकरण
3. विभिन्न ज्ञापनों पर कार्यवाही
4. विभिन्न आपदाओं/दुर्घटनाओं के संबंध में कार्यवाही
5. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।
7. संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों सें सम्बन्धित कार्य।

XXI गोपन अनुभाग

1. श्री राज्यपाल की नियुक्ति।
2. राज्यपाल और उनके स्टाफ राजभवन, राज्यपाल सचिवालय से संबंधित सभी मामले।
3. मंत्रियों/राज्यमंत्रियों/उपमंत्रियों की नियुक्ति।
4. महाधिवक्ता की नियुक्ति।
5. मंत्रियों के लिए आचरण कोड।
6. मंत्रिपरिषद की बैठक से सम्बन्धित कार्य।
7. मंत्रिपरिषद द्वारा गठित उपसमितियों का गठन।
8. मंत्रिपरिषद की आर्थिक विकास समिति का गठन एवं बैठक सम्बन्धी कार्य।
9. मंत्रिमण्डल की बैठकों सम्बन्धी कार्य।
10. श्री राज्यपाल की ओर से भारत के राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले मासिक पत्र की सामग्री उपलब्ध कराना।
11. गोपन मंत्रीमंण्डल अनुभाग में व्यवहृत अधिनियम/नियमावलियां।
    (क) मंत्रियों के वेतन भत्ते व अन्य उपबन्धों से सम्बन्धित अधिनियम बनाए जाने सम्बन्धी कार्य।
12. मंत्रिमण्डल सदस्यों की यात्रा, यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियमावली।
13. उत्तरांचल प्रदेश कार्य नियमावली संशोधन व व्याख्या।
14. मंत्रियों को एडवांस, मार्ग व्यय, वेतन एवं सम्बन्धी कार्य।
15. सचिवालय अनुदेश, संशोधन एवं व्याख्या।
16. उत्तरांचल कार्य बटवारा नियमावली, 1975 की विज्ञप्ति जारी करना।
17. भारत सरकार के एलोकेशन रूल्स आफ बिजनेस।
18. दूसरे राज्यों के रूल्स आफ बिजनेस संबंधी कार्य।
19. सरकारी आदेशों का प्रमाणीकरण संबंधी समस्त कार्य। उत्तराचंल अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियमावली 2001।
20. हाई कोर्ट के मा0 न्यायाधीशों से संबंधित समस्त कार्य।

(क) मा0 न्यायाधीशों की नियुक्ति, छुटटी, चिकित्सा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य, टी0ए0 बिल, अग्रिम धनराशि तथा अवकाश प्राप्त जजों के संबंध में समस्त कार्य।

21. हाई कोर्ट के कार्यरत मा0 न्यायाधीशों तथा अवकाश प्राप्त मा0 न्यायाधीशों संबंधी अन्य कार्य।

22. मंत्रियों की चिकित्सा अग्रिम एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य।

23. मंत्रियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच/सांसदों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।

24. विधान मंण्डल के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।

25. पद्म उपाधियों सम्बन्धी समस्त कार्य।

26. साइफर कार्य।

27. कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित केवल निम्नलिखित मामले जिनमें आपराधिक गतिविधियों एवं व्यक्तिगत मामले तथा अन्य आंदोलन सम्बन्धित नहीं होंगे।

(क) राजनैतिक दलों के सामूहिक आंदोलन

(ख) छात्रों द्वारा अपनी मॉगों के समर्थन में चलाये गये सामूहिक आंदोलन।

(ग) श्रम आंदोलन।

(घ) केन्दीय व राज्य कर्मचारियों द्वारा चलाये गये सामूहिक आंदोलन।

(ड़) अध्यापाकों द्वारा अपनी मॉगों के लिए चलाये गये सामूहिक आंदोलन।

28. राजनैतिक व्यक्तियों (जिसमें संसद एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्य सम्मिलित है) की राजनैतिक गतिविधियॉ (आपरधिक प्रकार के कार्यो को छोडकर)

29. संसद/राज्य विधान मंण्डल के सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी आदि की रिपोर्ट।

30. केवल आपत्तिजनक राजनैतिक भाषणों तथा प्रकाशनों के संबंध में कार्यवाही।

31. आम चुनाव से संबंधित केवल शांति–व्यवस्था के सामान्य मामले जिसमें आपराधिक गतिविधियों एवं व्यक्तिगत मामलों तथा पुलिस व्यवस्था से संबंधित कार्य सम्मिलित नहीं होंगे।

32. पत्रकारिता के आधार पर पुलिस/प्रशासन द्वारा पत्रकारों के उत्पीडन संबंधी शिकायतों का व्यवहरण।

33. अभिसूचना संकलन एवं विदेशी खुफियां एजेंसीज की गतिविधियों से संबंधित कार्य।

34. आपात कालीन स्थिति की घोषणा से सम्बद्ध कार्य।